हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

14 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 14 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
बैठक का स्थगन	(1) 1
सदस्यों का निलम्बन/निंदा प्रस्ताव	(1) 1
वाक आउट	(1) 8
राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 9 .
शोक प्रस्ताव	(1) 36
निलम्बित सदस्यों को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध	(1) 48
शोक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(1) 49

मूल्य :

घोषणाएं : -

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची (1) 55

(ख) सचिव द्वारा राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी (1) 56

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट (1) 56

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र (1) 59

सरकारी संकल्प :-

पंजाब विधान सभा द्वारा सतलुज-यमुना-लिंक (एस.वाई.एल.) नहर की भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के विधेयक को पारित करने की निंदा संबंधी। (1) 61

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 14 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 4.08 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

बैठक का स्थगन

(इस समय हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 13(2) के तहत सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री ज्ञान चन्द गुप्ता चेयर पर आसीन हुए)

चेयरपर्सन : माननीय सदस्यगण, हाउस 22 मिन्टस यानी 4:30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*4.30 बजे (The Sabha then adjourned at 4.08 PM and reassembled at 4.30 PM)

सदस्यों का निलम्बन/निन्दा प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, आज माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस सदन के कुछ सदस्यों ने व्यवधान डालने की कोशिश की जोकि हरियाणा विधानसभा के जो बिजनेस रूल्ज हैं उसके रूल्ज 17 के तहत कोई भी सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण होने से पहले, अभिभाषण के दौरान या अभिभाषण के बाद किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं कर सकता, किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई पोस्टर या पर्चा नहीं दिखा सकता और अगर वह ऐसा करता हैं तो this is contempt of the House . This is a very serious matter. Therefore, I request your honor before the obituary references कि इसके बारे में विचार किया जाए और इसकी गम्भीरता को देखते हुए इन सदस्यों के खिलाफ जो भी कन्टैम्प्ट ऑफ हाउस बनती है तथा इसके तहत इनको जो सजा बनती है वह सजा दी जाए ताकि आने वाले सदस्यों के लिए एक उदाहरण पेश हो सके कि इस हाउस की मर्यादा क्या है और इस हाउस को कन्टैम्प्ट करने का क्या हश्र हो सकता है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, सभी सदस्य इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हरियाणा विधानसभा की कार्य-प्रणाली के नियम 17 में स्पष्ट वर्णित है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किसी विधायक या विधायकों द्वारा किसी तरह की भी बाधा डालना इस सदन का अपमान समझा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ-

> कि आज कुछ सदस्यों द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बाधा डालकर हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 17 का उल्लंघन किया गया है। यह उनका एक निंदनीय कदम है इसलिए निम्न

[श्री राम बिलास शर्मा]

वर्णित विधायकों को जब तक माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा खत्म न हो जाए तब तक इस सदन से निलंबित किया जाए -

श्री आनंद सिंह दांगी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जयतीर्थ, श्री जयवीर सिंह, श्री करण सिंह दलाल, श्रीमती किरण चौधरी, श्री कुलदीप शर्मा, श्री ललित नागर, डॉ रघुवीर सिंह कादियान, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री श्रीकृष्ण तथा श्री उदय भान।

मैं यह भी प्रस्ताव पेश करता हूं-

कि जो आई.एन.एल.डी. के सदस्यों ने भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बाधा डालने की कोशिश की है। उनकी इस कार्यवाही की भी घोर निन्दा की जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रस्ताव को सैकेन्ड करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ:-

कि आज कुछ सदस्यों द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बाधा डालकर हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 17 का उल्लंघन किया गया है। यह उनका एक निंदनीय कदम है इसलिए निम्न वर्णित विधायकों को जब तक माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा खत्म न हो जाए तब तक इस सदन से निलंबित किया जाए -

श्री आनंद सिंह दांगी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जयतीर्थ, श्री जयवीर सिंह, श्री करण सिंह दलाल, श्रीमती किरण चौधरी, श्री कुलदीप शर्मा, श्री ललित नागर, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री श्रीकृष्ण तथा श्री उदय भान।

मैं यह भी प्रस्ताव पेश करता हूं-

कि जो आई.एन.एल.डी. के सदस्यों ने भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बाधा डालने की कोशिश की है। उनकी इस कार्यवाही की घोर निन्दा की जाए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, -----

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने बात इनीशिएट की थी और संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है लेकिन इसके लिए उन्होंने जो सजा निर्धारित की है वह बहुत कम है। मैं तो चाहता हूं कि इनके इस काम के लिए इनको कम से कम एक दिन के लिए जेल की सजा दी जाए या एक-एक रूपया जुर्माना लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप सुप्रीम हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनको या तो एक-एक दिन की जेल की सजा दी जाए या फिर एक-एक रूपया जुर्माना लगाया जाए या फिर ये दोनों ही सजाएं दी जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस पार्टी

के कुछ सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल महोदय का अपमान किया है इसलिए ये सजा के हकदार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस सजा की बात कह रहे हैं उसके लिए हम तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अनिल विज जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है हम उसका समर्थन करते हैं और हमें जेल भेज दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हितों के लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान) ****

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य चेयर की परमीशन के बगैर बोल रहे हैं उनकी बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के हितों की रक्षा करना यदि गुनाह है तो हम उसकी सजा पाने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी बात करें इनको कौन रोकता है। सैशन 31 मार्च तक चलने वाला है इसलिए ये अपनी बात रख सकते हैं लेकिन यदि ये कानून तोड़ेंगे और राज्यपाल महोदय का अपमान करेंगे तो इनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ----

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, ये सदन के बाहर भी गुंडागर्दी करते हैं और सदन के अंदर भी गुंडागर्दी करते हैं। कांग्रेस के सदस्य कानून की सारी मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आज एस.वाई.एल. कैनाल की यहां बात हो रही है जोकि हरियाणा के हित की बात है और हरियाणा के हितों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परमिन्द्र ढुल जी, आप बैठिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है:-

> आज जो भी विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान बाधा डालकर हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी निमयों के नियम 17 का उल्लंघन किया गया है वह उनका एक निन्दनीय कदम है इसलिए निम्नवर्णित विधायकों को जब तक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा खत्म न हो जाए तब तक इस सदन के लिए निलम्बित किया जाए-

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

श्री आनंद सिंह दांगी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जयतीर्थ, श्री जयवीर सिंह, श्री करण सिंह दलाल, श्रीमती किरण चौधरी, श्री कुलदीप शर्मा, श्री ललित नागर, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री कृष्ण तथा श्री उदय भान ।

मैं यह भी प्रस्ताव पेश करता हूं -

कि इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान बाधा डालने की कोशिश की है उनकी उस कारवाई की भी घोर निन्दा की जाए।

प्रस्ताव पास हुआ ।

श्री अध्यक्ष : मै निलम्बित किए गए सभी सदस्यों को कहूंगा कि वे सभी सदन से बाहर चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन की वैल में आकर नारेबाजी करने लगे तथा श्री कुलदीप शर्मा, श्री जगबीर सिंह मलिक और श्री जयवीर सिंह ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां भी फाड़ी)

श्री अध्यक्ष : अब मैं सर्जेन्ट-ऐट-आर्म्ज से कहूंगा कि वे वाच एंड वार्ड स्टाफ की मदद से निलम्बित किए गए सदस्यों को सदन से बाहर ले जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सर्जेन्ट-ऐट-आर्म्ज निलम्बित किए गए सदस्यों को वाच एंड वार्ड स्टाफ की मदद से सदन से बाहर ले गए)

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों का भी इस निंदा प्रस्ताव में जिक्र किया गया है। हम चाहते हैं कि इसको वापिस लिया जाये।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, इस निंदा प्रस्ताव में जो हमारी पार्टी का जिक्र किया गया है उसको वापिस लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप सभी कृपया करके अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि इस निंदा प्रस्ताव में जो भी कहा गया है वह काफी विचार-विमर्श के बाद कहा गया है। इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी ने काले बिल्ले लगाये हुए हैं और इसके साथ ही आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बाधा भी डाली इसलिए आपकी पार्टी के सदस्यों का इस निंदा प्रस्ताव में जिक्र किया गया है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, इंडियन नैशनल लोकदल के सभी माननीय विधायकों का इस निंदा प्रस्ताव में उस तरह का कोई जिक्र नहीं है जैसा कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों के बारे में जिक्र किया गया है और यह कोई ऐसा विषय भी नहीं है जिसको विपक्ष के माननीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी द्वारा सदन के संज्ञान में लाया जाये। सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय हमारी सरकार के संवैधानिक मुखिया हैं।

कांग्रेस के माननीय विधायक मित्रों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न करके तीन गुणा पाप किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधान सभा के वर्तमान सैशन से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी । इस सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया, इंडियन नैशनल लोकदल के सभी माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया, श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने भी इस मीटिंग में भाग लिया, बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री टेक चंद शर्मा जी ने भी इस मीटिंग में भाग लिया और शिरोमणि अकाली दल के माननीय सदस्य श्री बलकौर सिंह जी ने भी इस मीटिंग में भाग लिया। सर, एस.वाई.एल. कैनाल का मुद्दा पूरे हरियाणा प्रदेश के हितों से जुड़ा मामला है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नैशनल लोकदल, हरियाणा जनहित कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के सभी माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर उनको इस बारे में अपनी चिंता से अवगत करवाया। कांगेस पार्टी के माननीय विधायक साथियों का तो ऐसा हाल है जैसा कि "आग लगाकर जमालो बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती है।" इसके साथ ही मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के माननीय विधायक साथी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर आये हैं उन्होंने एस.वाई.एल. कैनाल के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल महोदय से कोई बात नहीं की। सभी पार्टियों के सारे माननीय सदस्यों की मौजूदगी में कांग्रेस के माननीय विधायक मित्रों ने सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज़ करवाने के लिए, सिर्फ प्रैस के माध्यम से अपनी बेशर्मी छिपाने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के पास सिर्फ यह कहने के लिए गये कि आप हरियाणा विधान सभा में अपना अभिभाषण न पढ़ें। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बड़ी शालीनता से उनकी बात को सुना। आज जैसा कि विपक्ष के माननीय नेता ने भी कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय एक संस्था हैं। यह भी संयोग की ही बात है कि महामहिम राज्यपाल महोदय पंजाब के भी महामहिम राज्यपाल हैं। आज यह पूरा सदन जानता है कि हम सभी ने अपने हरियाणा के हितों के लिए कितने आंदोलन किये हैं और कितनी लड़ाईयां लड़ी हैं। आज स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी और डॉ. मंगल सैन जी हमारे बीच में नहीं हैं। यह भी सारा सदन अच्छी तरह से जानता है कि वर्ष 1986 में जो राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ था इसमें भी हरियाणा के हितों के साथ निरंतर बेइंसाफी होती रही है, इसके बारे में सारा सदन पूरी तरह से चिंतित है। पूरा हरियाणा इस कारण जल गया था। तीन कपड़ों में पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई परिवार मिंटगुमरी से, कोई परिवार मुल्तान से और कोई परिवार लॉयलपुर से अपना दीन और ईमान लेकर आया। इस प्रकार से हज़ारों परिवार यहां पर आये उस समय उनके मन में यही भावना थी कि चाहे कोई भी बलिदान करना पड़े और चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम अपने वतन में चलेंगे। (विघ्न) मान्यवर, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा में कुछ दिन पूर्व हरियाणा प्रदेश में हुई आगजनी के कारण केवल दुकान का सामान ही नहीं जला बल्कि दिल के अरमान भी जल गये हैं। इससे हरियाणा का गौरव भी बदनाम हो गया और हरियाणा के मान-सम्मान को भी चीथड़े-चीथड़े करके फैंक दिया गया है। इस सबका वीडियो वॉयरल हुआ है। मान्यवर, जो कुछ भी हुआ है उसको जुबान से कहा नहीं जा सकता है। हम सब लोग भावुक हैं लेकिल उसके बाद आज हर बात में राजनीति और हर बात में सीनाजोरी दिखाना ठीक नहीं है। सड़क पर गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दिया गया। हरियाणा को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया गया और अब ये लोग सदन के साथ भी वही व्यवहार करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय से कहा जाता है कि आप अभिभाषण मत पढ़िये। यह तो

[श्री राम बिलास शर्मा]

राज्यपाल महोदय की शालीनता है और उनकी महानता है कि उन्होंने उसके बावजूद भी अभिभाषण पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का पद संवैधानिक मुखिया का पद है और ये लोग उसका भी अपमान करते हैं। अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियाँ भी फाड़ी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सदन इस बात पर गम्भीरता से विचार करे और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हरियाणा विधान सभा का सदन किसी की भैंस नहीं है कि उसको डंडा मार कर उसका दूध निकाल लिया जाये। यह सरकार जनादेश के आधार पर बैठी हुई सरकार है, यह किसी तरह से कमजोर सरकार नहीं है। यह हरियाणा के अढ़ाई करोड़ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। मैं निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामबिलास शर्मा जी ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान से आये हैं उनके साथ गलत हुआ है। मैंने तो इस बारे में नहीं देखा है लेकिन हमारे बुजुर्गों ने देखा है। हमारे मेवात में भी पाकिस्तान से बहुत से अलॉटी आये थे और हमने उनको सीने से लगाया था। आज भी हमने उस 36 बिरादरी के प्यार को मेवात में कायम रखा है लेकिन जिन चन्द लोगों ने उस भाईचारे को बिगाड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए माननीय रामबिलास जी जो कह रहे हैं उनकी बात दुरूस्त है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आप से यही अर्ज है कि नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान कोई गुस्ताखी नहीं की और उन्होंने जो कुछ भी कहा राज्यपाल महोदय ने उस पर संज्ञान भी लिया और कहा कि हम इसको ठीक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष की चिन्ता इस बात को लेकर थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात को लेकर कोई हवाला नहीं दिया गया था कि अगर पंजाब विधान सभा में इस तरह का बिल आया तो उसका क्या बनेगा ? अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता केवल उनकी ही नहीं थी बल्कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक बैठे हुये हैं, यह सभी की चिन्ता थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने संज्ञान भी लिया है। (विघ्न) मेरी आपसे यही निवेदन है कि इंडियन नैशनल लोकदल का निन्दा प्रस्ताव वापिस लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 17 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन गलत है। (विघ्न) आप अपने कंधे पर देखिये, आपके कंधे पर अभी भी काले बिल्ले लगे हुये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ भी कहा है वह गैर कानूनी नहीं है। हो सकता है कि वह कानून के अनुरूप न हो लेकिन गैर कानूनी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इंडियन नैशनल लोकदल का निन्दा प्रस्ताव वापिस लिया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो पद है वह संवैधानिक और गरिमा का पद है। उस गरिमा में किसी प्रकार की छोटी-मोटी कोताही भी अपने आप में संज्ञान लेने लायक होती है और उस परम्परा से हट कर जो काम किया गया है वह ठीक नहीं था । जो अभिभाषण अभी पढ़ा नहीं गया था और मेरे मित्र जो बात कहना चाह रहे थे वह बात राज्यपाल महोदय से हो चुकी थी। हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में भी इस बात पर चर्चा हुई थी तथा उस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि हमें राज्यपाल

महोदय से मिल कर अपनी चिन्ता जाहिर करनी चाहिए। हम उनके पास मिलने के लिए गये और उनको बताया कि पंजाब की विधान सभा में इस प्रकार का कोई बिल आने वाला है और आपको उस पर संवैधानिक तरीके से विचार करना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और कहा कि हाँ यह ठीक नहीं है और अगर इस तरह का कोई मामला आया तो मैं संविधान के हिसाब से काम करूँगा। उनसे हमारी यह बात हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आज जब सत्र प्रारम्भ हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी व इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्यों की तरफ से उस विषय पर इस तरीके से प्रदर्शन करना यानि काले बिल्ले लगाकर सदन में आना ठीक नहीं था। वैसे तो काले बिल्ले लगाना ही अपने आप में वास्तव में राज्यपाल की गौरवमयी उपस्थिति का एक अपमान है। उनको यह नहीं करना चाहिए था। अगर विपक्ष को कोई भी बात उठानी थी तो वह राज्यपाल अभिभाषण के बाद उठा लेते। आखिर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद एक निश्चित प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बाद आज सदन में जितनी कार्यवाही होनी थी वह लगातर चलने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होने वाली है और आगे भी जो दो-तीन दिनों में चर्चा होगी वह इन्ही विषयों पर होगी कि राज्यपाल के अभिभाषण में क्या आया और क्या नहीं आया। अगर यह सारा सदन राज्यपाल के अभिभाषण में किसी प्रकार का संशोधन भी करवाना चाहता है तो हम करवा सकते हैं क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संशोधन भी होते रहे हैं इसमें कोई अचरज नहीं हो सकता। इसमें संशोधन भी हो सकते थे लेकिन उनकी गरिमा को बरकरार रखते हुए विपक्ष के सदस्यों ने जो काम किया है वह नहीं करना चाहिए था। वह प्रदर्शन चाहे इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्यों ने किया है या कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने किया है। यह अलग-अलग दोनों पार्टियों के काम हैं इन्होंने अलग-अलग प्रकार से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मैं समझता हूं कि यह जो इनकी निन्दा की गई है वह राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर की गई है। यह जो प्रदर्शन किया गया है वह नहीं होना चाहिए था। आगे भी यह परम्परा न बन जाए अन्यथा अभिभाषण के समय यदि इस तरह की एक-एक परम्परा बढ़ते-बढ़ते आगे बढ़ गई तो उसके तहत हमारा जो संवैधानिक सिस्टम है उसमें बहुत नुकसान हो सकता है। मेरा यह कहना है कि जो निन्दा प्रस्ताव लाया गया है वह सोच समझ कर लाया गया है। हमने निन्दा प्रस्ताव पारित करवाया है। अगर इस निन्दा प्रस्ताव को समाप्त करना है तो इसमें यदि हमारे मित्र अपने इस कार्य पर खेद प्रकट करें कि हमारे से जो हुआ है वह ठीक नहीं हुआ तो इस निन्दा प्रस्ताव को भी वापिस लेने का मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, श्री रामबिलास शर्मा जी ने जो बात कही उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। लेकिन अभी आपने जो रूल 17 के बारे में बताया कि गवर्नर साहब के अभिभाषण में किसी प्रकार की बाधा डालना गलत है अन कॉन्स्टीच्यूशनल है तो फिर आज यह दो मापदंड कैसे हुए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया गया और श्री अभय सिंह चौटाला जी बोलते रहे ? यह गवर्नर साहब को रोकना या उनकी मानना या अवमानना की बात नहीं होती है। आपको इन दोनों पार्टियों के लिए सेम फैसला करना चाहिए था। डैमोक्रेसी में विधान सभा के अन्दर बोलने का अधिकार सबको है लेकिन आज का जो दिन रहा ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने दो बार सांसद रहकर और तीसरी बार विधायक रह कर आज पहली बार देखा कि सदन का समय दो बजे का है और दो बजकर 18 मिनट तक श्री अध्यक्ष की कुर्सी खाली रही और गवर्नर साहब भी नहीं आए। उसके बाद यहां पर जो माहौल हुआ यह भी पहली बार देखा

[श्री कुलदीप बिश्नोई]

है इसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी ही कम है। उसके बाद दूसरी गलती सदन से एक और हुई। सदन को उठाने का और यह कहने का कि अब सदन 4 बजकर 08 मिनट पर दोबारा बैठेगा या 4 बजे बैठेगा का काम श्री अध्यक्ष का होता है लेकिन हमें पता भी नहीं चला कि हमें दोबारा बैठना है या हमें घर जाना है। तीसरी गलती सदन से यह हुई कि 4 बजकर 08 मिनट पर कहा गया कि 15 मिनट के लिए सदन को उठाया जाता है। लेकिन 4 बजकर 14 मिनट पर फिर सभी मैम्बर को यहां सदन में बैठा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन मैं विधान सभा के इतिहास में एक काला दिन मानूंगा और इसके साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि कांग्रेस पार्टी के उन सभी मैम्बर्ज को वापिस बुलाया जाए। अगर हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी है तो हम सब का यह धर्म बनता है कि जब तक गवर्नर के एड्रेस पर अगर सभी मैम्बर्ज अपनी-अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो सदन की गरिमा नहीं बन पाएगी। मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव लेकर आना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों को क्षमा करना चाहिए क्योंकि गलतियां सब से हुई हैं इसलिए उनको वापिस बुलाया जाए।

मुख्य संसदीय सचिव (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि उनको क्षमा नहीं बल्कि उनको तो और भी अधिक सजा देनी चाहिए क्योंकि यह बड़ी सीरियस बात है कि गवर्नर के अभिभाषण की प्रतियां सदन में इस तरह से फाड़-फाड़ कर फैंक दी गई जोकि बहुत शर्मनाक बात है।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह एस.वाई.एल. कैनाल का जो मुद्दा है वह हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए बहुत अहम मुद्दा है। जब वर्ष 1977 में इसके लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी और उस पर काम शुरू किया गया था तो ---

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, इस मुद्दे पर बाद में चर्चा होगी जिस पर आपको बोलने का खूब समय दिया जाएगा।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमने यह बहुत अहम मुद्दा उठाया है जिस पर हमने अपनी बात रखी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हम एस.वाई.एल. कैनाल के लिए अपनी जान भी दे देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

वॉक आऊट

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी पार्टी के खिलाफ लाये गये निन्दा प्रस्ताव को वापस नहीं लेते हैं तो इसके विरोध में हम सदन से वॉकआऊट करते हैं ।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य और शिरोमणि अकाली दल का एक सदस्य उनकी पार्टी के खिलाफ राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए निन्दा प्रस्ताव लाए जाने और उसको वापिस न किये जाने के विरोध में सदन से वॉक आऊट कर गये)

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 18 के मुताबिक मुझे यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद-176(1) के अधीन राज्यपाल महोदय ने आज दिनांक 14.3.2016 को दोपहर बाद 02.00 बजे हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करने की कृपा की है।

(अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है।)

माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासदो !

1. मैं, 13वीं हरियाणा विधानसभा के पांचवें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नववर्ष में इस गरिमामय सदन का यह पहला सत्र है। हरियाणा पहली नवम्बर, 1966 को एक अलग राज्य के रूप में स्वतंत्र भारत के राजनैतिक मानचित्र पर अस्तित्व में आया। अपने गठन के समय से ही हरियाणा ने राष्ट्र की राजनीति में अलग स्थान बनाया है और भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आपके सक्रिय सहयोग से मेरी सरकार की इस वर्ष की पहली नवम्बर से हरियाणा की स्वर्ण जयंती उचित तरीके से मनाने की योजना है।

2. मेरी सरकार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्रों समेत राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ऐसे विकास के लाभ राज्य के हर क्षेत्र के हर नागरिक तक पहुंचें। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि 'सबका साथ, सबका विकास' का सिद्धांत यथार्थ और पूर्ण रूप से लागू हो।

3. कुछ सप्ताह पूर्व असामाजिक ताकतों ने प्रदेश के आठ जिलों में कानून–व्यवस्था की समस्या पैदा की। राज्य के सामाजिक ताने–बाने और लोगों की आपसी भाइचारे की भावना को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया। इन प्रयासों को मेरी सरकार ने दृढ़ और तीव्र कार्यवाही करते हुए नाकाम किया और अल्पावधि में प्रदेश के सभी भागों में शांति और कानून–व्यवस्था कायम की। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि इस कार्य में सशस्त्र बलों और अर्द्ध–सैनिक बलों के योगदान की मेरी सरकार सराहना करती है। आपसी भाइचारे और सौहार्द की कड़ियों को चोट पहुंचाने के कायरतापूर्ण प्रयासों की चहुं ओर आलोचना हुई है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ।

4. मेरी सरकार अपने गठन के समय से ही राज्य को तीव्र विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत है और ये घटनाएं इस विकास को अवरुद्ध करने का एक प्रयास था। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि मेरी सरकार को सही सोच रखने वाले हरियाणा के सभी व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। आपसी प्रेम और भाइचारे को पुनः बहाल करते हुए मेरी सरकार 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश को आर्थिक विकास और चहुंमुखी प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे लेकर जाएगी।

5. मेरी सरकार हाल ही की अशांति के दौरान कई लोगों को हुए नुकसान से पूरी तरह से अवगत है। मुआवजे की कितनी ही धनराशि पूर्ण नुकसान की भरपाई के लिए अपर्याप्त

[श्री अध्यक्ष]

है, लेकिन तीव्रता से सहायता के वितरण से तत्काल राहत सुनिश्चित होती है। मेरी सरकार ने तुरंत गणना और आकलन का काम शुरू किया। इसके दृष्टिगत जींद, रोहतक, झज्जर, हिसार, कैथल, पानीपत, सोनीपत और भिवानी जिलों से प्राप्त दावों पर उनके घरद्वार पर ही शीघ्रता से ध्यान दिया गया। पहले ही 1817 दावेदारों, जिनमें रेहड़ी वाले, छोटे विक्रेता और सीमांत विक्रेता शामिल हैं, को 24.38 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मेरी सरकार ने 12 मार्च, 2016 तक 501 परिवारों, जिनमें रेहड़ी वाले, छोटे विक्रेता और छोटे दुकानदार शामिल हैं, के 50 हजार रुपये तक के सभी दावों का निपटान कर दिया है। इस समय भी क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए गठित समितियों द्वारा मूल्यांकन का काम तीव्रता से किया जा रहा है।

6. मेरी सरकार रावी–ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज–यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले 11 वर्षों से अधिक समय से लम्बित राष्ट्रपति के संदर्भ पर जल्दी सुनवाई के ठोस प्रयास किये हैं। इन प्रयासों के परिणाम फलदायी रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस मुद्दे को नियमित सुनवाई के लिए लिया है।

7. हरियाणा को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य स्थल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मेरी सरकार ने 7 और 8 मार्च, 2016 को गुड़गांव में सफलतापूर्वक ग्लोबल इन्वेस्ट्र्स समिट आयोजित की। भारत व विदेशों के निवेशकों ने 359 समझौते किये। इन समझौतों से 5.84 लाख करोड़ रुपये का निवेश निकट भविष्य में होगा। इस समिट में 12 देशों ने भागीदार देश के रूप में तथा

150 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों समेत हजारों निवेशकों ने भाग लिया। इस समिट के उद्घाटन और समापन समारोह में केन्द्रीय वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री, रेल मंत्री सहित कई मंत्रियों ने भाग लिया और इनमें से कइयों ने विभिन्न तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता भी की। सरकार का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक निवेश प्रस्तावों को वास्तविकता में बदला जाए और इसके लिए अनुगामी कार्यवाही के लिए रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किये गये हैं।

8. मेरी सरकार का इस सत्र में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल–2016 पेश करने का इरादा है। इस कानून के बनने से सम्पूर्ण प्रदेश के औद्योगिकीकरण में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा और विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें विगत की अविवेकपूर्ण और बिना सोची–समझी नीतियों के कारण खेदजनक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया था, वह खत्म होगा।

9. मेरी सरकार का कानूनों में कई संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जो श्रमिक हितैषी और उद्योग हितैषी हैं और इनसे औद्योगिक सम्बन्ध सुधरेंगे। इनमें वेतन अदायगी अधिनियम में संशोधन करना भी शामिल है ताकि पुरातन परिस्थितियों को बदला जा सके और 18,000 रुपये मासिक वेतन लेने वाले श्रमिकों को नकद अदायगी हो।

10. मेरी सरकार ने सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लाइसेंसशुदा कालोनियों के मानदण्डों को तर्कसंगत बनाने के लिए नीतियां बनाई हैं और 'दीनदयाल जन

आवास योजना' शुरू की है, जिससे कम और मध्यम क्षमता के कस्बों के लिए सस्ते प्लॉटिड आवास उपलब्ध होंगे।

11. चिरलम्बित कुण्डली–मानेसर–पलवल एक्सप्रेस–वे शीघ्र ही पूरा होने वाला है। मेरी सरकार कुण्डली–मानेसर–पलवल एक्सप्रेस–वे के मानेसर–पलवल खण्ड के 54 किलोमीटर लम्बे भाग का इसी मास उद्घाटन करने जा रही है। कुण्डली–मानेसर खण्ड का निर्माण कार्य आज से ठीक एक वर्ष से कम समय में पूरा कर लिया जाएगा।

12. हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए इनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की विभिन्न स्कीमें शुरू की गई हैं। राज्य सरकार हमारे देश के सबसे प्रेरणादायक नेताओं में से एक भारतरत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मना रही है। वे भारतीय संविधान के शिल्पी थे और उन्होंने शोषित और पद–दलितों का गौरव और गरिमा बढ़ाई और उनकी आवाज बने। प्रदेश सरकार द्वारा उनकी 125वीं जयंती पर, उनके समानता के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने और समाज के वंचितों, गरीबों और सीमांत वर्गों के कल्याण–उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

13. मेरी सरकार शासन उत्पीड़न के सभी पीड़ितों को सम्मान प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक का आपातकाल का कालखण्ड एक काला अध्याय है। स्वतंत्रता–प्रिय हरियाणा के लोगों को अन्यायपूर्ण ढंग से प्रताड़ित किया गया और अकारण ही जेलों में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान हरियाणा के जिन लोगों ने शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं झेलीं, उनकी पहचान की गई है और लोकतंत्र की बहाली के लिए उनके योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें 2 अक्तूबर, 2015 से विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं और 26 जनवरी, 2016 को ताम्र–पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

14. विषम लिंगानुपात हरियाणा के लिए दशाब्दियों से एक बड़ी चुनौती रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किये गये 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' अभियान की सफलता के लिए मेरी सरकार न केवल कन्या भ्रूण हत्या की बुराई पर अंकुश लगाने वाले सभी कानूनों का कठोरता से पालन सुनिश्चित कर रही है, बल्कि कई नई पहल भी शुरू की गई हैं। सूचना देने वाले की प्रोत्साहन राशि भी 20,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात दिसम्बर, 2015 में पहली बार 900 का आंकड़ा पार कर गया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राज्य को नारी शक्ति पुरस्कार, 2015 (कन्नगी देवी अवार्ड) प्रदान किया। मेरी सरकार हरियाणा से कन्या भ्रूण हत्या के कलंक को मिटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आधार से जुड़ी नवजात बच्चों के पंजीकरण की स्कीम को लागू करने में मेरी सरकार देशभर में पहले स्थान पर है। इसके अन्तर्गत आधार प्लेटफार्म पर नवजात को एक ई.आई.डी. नंबर दिया जाता है।

15. मेरी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पिछले वर्ष ओलावृष्टि और बेमौसमी वर्षा से फसलें खराब होने पर अब तक का सर्वाधिक 1092 करोड़ रुपये का

[श्री अध्यक्ष]

आपदा राहत मुआवजा वितरित किया गया। अब मेरी सरकार ने जिन किसानों की फसलें सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हो गई थीं, उन्हें मुआवजा देने के लिए 967 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी करने का निर्णय लिया है। हम खाद्य सुरक्षा से लेकर किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की केन्द्र सरकार की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुणा करने की घोषणा की है। मेरी सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

16. मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरी सरकार ने राज्य के गरीब से गरीब व्यक्ति का वित्तीय समावेशन करने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' के अन्तर्गत प्रदेश में सभी चयनित परिवारों के बैंक खाते खोले गये हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हरियाणा भारत का चौथा राज्य है। 15 जनवरी, 2016 तक 52.58 लाख बैंक खाते खुले हैं और इनमें 1,112 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। छात्रवृत्तियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की अदायगी लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाई जाती है। इससे लाल फीताशाही खत्म हुई है और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रही है।

17. मेरी सरकार ने सरस्वती धरोहर पर अनुसंधान और इसके जीर्णोद्धार तथा संरक्षण में सहायता करने के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड के तत्वावधान में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में सरस्वती महोत्सव आयोजित किया गया। गीता जयंती उत्सव केवल कुरुक्षेत्र की बजाय पहली बार राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया गया।

18. मेरी सरकार राज्य में गौवध निषेध को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और हरयाना और साहीवाल नस्ल की देसी गायों के गौ–संरक्षण एवं गौ–संवर्धन के लिए हरियाणा गौवंश सरंक्षण व गौ–संवर्धन अधिनियम, 2015 बना दिया गया है। हरयाना और साहीवाल नस्ल की गायों के संरक्षण, उन्नयन और समेकित विकास के लिए 'गौजातीय प्रजनन और डेरी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम' के अंतर्गत 78 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जोकि आगामी तीन वर्ष में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जाएगी। मेरी सरकार गौसेवा आयोग के माध्यम से आवारा पशुओं को आश्रय, चारा और चिकित्सा देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के उपयुक्त स्थानों पर गौ अभ्यारण्य स्थापित कर रही है।

19. मेरी सरकार ने ''भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस'' के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों को दक्ष व प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य पहलों के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। सेवा का अधिकार अधिनियम–2014 के अन्तर्गत 195 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। एक हजार रुपये से अधिक सभी अदायगियां केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएंगी। सभी तरह की खरीद और कार्यों के ठेकों के लिए ई–निविदा अनिवार्य की गई है और सरकार यह सुनिश्चित करने की भी योजना बना रही है कि सभी प्रकार की सरकारी सहायता लाभपात्रों के आधार से जुड़े खातों में जमा

हो। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के 200 से अधिक मापदंडों की उच्चतम स्तर पर निगरानी करके जन–साधारण को प्रभावी तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

20. मेरी सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के पंजीकरण और जांच– पड़ताल की सुविधा के लिए हर जिला मुख्यालय पर एक–एक महिला पुलिस थाना स्थापित किया है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में निष्पक्षता लाने की हमारी प्रतिबद्धता के दृष्टिगत हमने सिपाहियों और उप–निरीक्षकों की सीधी भर्ती के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा सुझाई गई 'पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया' को अपनाया है।

21. मेरी सरकार ने हिसार हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा/रखरखाव/मरम्मत/ओवरहाल हब/समेकित विमानन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। एक परामर्शदाता नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है, जो वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करने के लिए सरकार की सहायता हेतु विस्तृत तकनीकी विशिष्टता तैयार करेगा और पी.पी.पी. मोड में वित्तीय बंद (फाइनेंसियल क्लोजर) सुनिश्चित करेगा।

22. हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारे हर प्रकल्प में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों का पूरा प्रशासनिक एवं वित्तीय सहयोग मिल रहा है। इसलिए हरियाणा के लिए आपके सभी सपनों को साकार करने व विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने और कौशल विकास सुविधाएं प्रदान करने हेतु संसाधनों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत

23. मेरी सरकार ने एक कानून बनाकर पंचायती राज में एक नए युग का सूत्रपात किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि चुनी हुई पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें पढ़ी–लिखी हों। निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपराधीकरण पर रोक लगाने, जिम्मेदार नेतृत्व को आगे लाने और स्वच्छ भारत के महत्त्व को उजागर करने हेतु विभिन्न पदों पर चुनाव के लिए चार नई शर्तें जोड़ी गई हैं। परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध 42 प्रतिशत महिलाओं का चुनाव हुआ, 20 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है तथा पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 7,433 पदों के विरूद्ध 23,646 सदस्यों का चुनाव हुआ है। यह इस बात का प्रतीक है कि नये कानून से बड़े पैमाने पर एक सामाजिक बदलाव आया है। पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए सदस्यों की औसत आयु 34.7 साल होने से पंचायती राज संस्थाओं को युवा एवं गतिशील नेतृत्व मिला है।

24. मेरी सरकार ने 420 ग्राम सचिवालयों की स्थापना करके पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की है। वर्ष 2016–17 में 840 ग्राम सचिवालय और स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन ग्राम सचिवालयों में नागरिक सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जो नागरिकों को सेवाएं और पंचायतों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। कलस्टर स्तर के अलावा, अन्य सभी पंचायतों को भी छोटे पंचायत कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं।

[श्री अध्यक्ष]

25. सभी पंचायतों को पहली बार हर वर्ष जनसंख्या के आधार पर एक सुनिश्चित धनराशि 'स्वर्ण जंयती विकास निधि' के रूप में हस्तांतरित की जाएगी। हर ग्राम पंचायत पंचवर्षीय व वार्षिक आधार पर "हमारी योजना–हमारा विकास" नामक ग्राम पंचायत विकास योजना बनाएगी। यह योजना लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बुनियादी सेवाओं और सामाजिक सूचकांक में महत्त्वपूर्ण कमियों को पूरा करेगी।

26. मेरी सरकार तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के दबाव को कम करने के लिए राज्य में एक आधुनिक रूर्बन परिदृश्य विकसित करना चाहती है। प्रस्तावित "स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना" के प्रथम चरण में 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों में योजनाबद्ध और नियंत्रित विकास करके शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन गांवों की पंचायतों को नगर पंचायतों का दर्जा दिया जाएगा। भारत सरकार ने रूर्बन मिशन के तहत शहरी तर्ज पर ढांचागत और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए पांच समूहों को भी मंजूरी दी है।

27. वर्ष 2017 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत इस वर्ष के दौरान ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की 1472 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और 957 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया। इसके साथ ही गांवों में 600 व्यायामशाला व पार्क स्थापित करने की एक नई स्कीम शुरू की गई है।

28. मेरी सरकार का लक्ष्य 'आदर्श ग्राम योजना' के माध्यम से गांवों का समग्र विकास करना है। 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के तहत माननीय सांसदों ने 15 गांव गोद लिये हैं और इन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' के तहत 53 विधायकों द्वारा गांव गोद लिये जा चुके हैं। इसके अलावा, 'स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना' के तहत 12 संस्थाएं गांव गोद लेने के लिए आगे आई हैं और इनकी विकास प्रक्रिया में योगदान दे रही हैं। महिला किसानों के सशक्तिकरण और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना' नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत राज्य के 153 गांवों को लिया गया है।

29. मेरी सरकार ने 'इन्टीग्रेटिड वाटर शैड मैनेजमेंट' कार्यक्रम में नई जान फूंकी है, जिसके तहत अब तक 5,95,275 हैक्टेयर भूमि विकसित करने का कार्य किया जा चुका है। 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत राज्य के 22 अत्यंत जल शोषित खण्डों में जल संचय और प्रबन्धन के लिए 21.72 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक नई स्कीम स्वीकृत की गई है।

शहरी विकास तथा आवास

30. हरियाणा के लिए यह गर्व की बात है कि दिल्ली से मुजेसर, फरीदाबाद के बीच मैट्रो सम्पर्क का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सितम्बर, 2015 को किया गया तथा यह मार्ग अब सुचारू रूप से चल रहा है। इस मैट्रो मार्ग को बल्लबगढ़ तक बढ़ाया जा रहा है तथा इसका कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण होने का अनुमान है। दिल्ली मैट्रो का बहादुरगढ़ तक तथा रैपिड मैट्रो सम्पर्क को सिकन्दरपुर स्टेशन से सैक्टर–56, गुड़गांव तक बढ़ाने का कार्य

दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण होने का अनुमान है। इसके साथ, जनवरी, 2018 तक राज्य का मैट्रो नेटवर्क 40 किलोमीटर का हो जाने की आशा है।

31. मेरी सरकार हमारे शहरों में मैट्रो नेटवर्क का सुधार एवं विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने और मेट्रो परियोजनाओं में निवेश के लिए समुचित राजस्व अर्जित करने के लिए पारगमन उन्मुख विकास (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट) नीति को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

32. मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने लाइसेंसशुदा कालोनियों के एकीकृत विकास के लिए एक नई नीति की घोषणा की है, जिसमें हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की अवधारणा को अपनाया गया है तथा वर्तमान मापदण्डों को तर्कसंगत बनाया गया है। इस नीति में सस्ते आवासों तथा सामुदायिक सुविधाओं के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, भूमि के एकत्रीकरण और 24 मीटर तथा 18 मीटर चौड़ी अन्दरूनी क्षेत्रीय योजना सड़कों के साथ–साथ समेकित अवसंरचनात्मक विकास के लिए नीति बनाई गई है। आबंटियों की समस्याओं के निपटान हेतु हर जिले में आबंटी शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है। सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में मुख्य शहरी विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें गुड़गांव में उत्तरी तथा दक्षिणी परिधि सड़कों का निर्माण तथा मुख्य जल आपूर्ति, सीवरेज तथा जल निकासी परियोजनाएं शामिल हैं।

शहरी स्थानीय निकाय

33. मेरी सरकार ने पहली नवम्बर, 2014 को 'स्वच्छ हरियाणा–स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया। भारत सरकार व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए चार हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि मेरी सरकार प्रत्येक व्यक्तिगत शौचालय के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान करती है। इस तरह से व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए प्रत्येक लाभपात्र को 14,000 रुपये मिलते हैं। राज्य सरकार ने व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 42.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की है और इस उद्देश्य के लिए 49,628 पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

34. ठोस कचरा प्रबंधन पर मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। करनाल और सिरसा में दो ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र संचालित हो गये हैं और रोहतक में भी एक संयंत्र का शीघ्र ही काम पूरा होने वाला है। हरियाणा की सभी 80 शहरी स्थानीय निकायों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सांझा प्रसंस्करण और निपटान की सुविधाओं से युक्त 15 सांझे समूह बनाने की योजना है। इन सभी समूहों में घर–घर जाकर कूड़ा–कचरा एकत्रित करने, कूड़े की ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान समेत समेकित पालिका ठोस कचरा प्रबंधन की सुविधा होगी ताकि प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिले। 2 अक्तूबर, 2019 तक प्रदेश की सभी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

[श्री अध्यक्ष]

35. मेरी सरकार ने जून, 2015 में एक नई केन्द्रीय स्कीम नामतः 'शहरों का कायाकल्प और शहरी बदलाव अटल मिशन' शुरू किया है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी को नल पेयजल और सीवरेज कनैक्शन की सुविधा सुनिश्चित करना, हरित् क्षेत्र और खुले स्थान का विकास करके शहरों का सौन्दर्यकरण करना तथा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर या गैर–मोटर परिवहन के लिए सुविधाएं विकसित करके प्रदूषण को कम करना है। इस स्कीम के तहत 18 शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें 20 शहर नामतः गुड़गांव, पंचकूला, अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, यमुनानगर–जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, थानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ़, पलवल, सिरसा और जींद शामिल हैं, को लिया गया है। मेरी सरकार ने मिशन की अवधि 2020–21 तक के लिए सेवा स्तर में अन्तरो के आकलन के बाद 4745 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय वार्षिक कार्य योजना बनाई है। यह कार्य योजना भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित कर दी गई है।

36. माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग श्रेणियों के लोगों को नये आवास निर्माण/खरीद या अपने प्रयोग के लिए वर्तमान आवास के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 'सभी के लिए नये आवास मिशन (शहरी)' शुरू किया है। मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि इस मिशन का सभी योग्य लाभार्थियों को लाभ मिले और ''सभी के लिए आवास'' का सपना साकार हो। भारत सरकार ने ''सभी के लिए आवास मिशन (शहरी)'' के प्रथम चरण में हरियाणा के नौ शहरों नामतः फरीदाबाद, करनाल, हिसार, यमुनानगर, रोहतक, गुड़गांव, सोनीपत, सिरसा और पानीपत को स्वीकृति प्रदान की है।

37. भारत सरकार ने 2015 में 'स्मार्ट सिटीज मिशन' शुरू किया है। इसके अंतर्गत देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें फरीदाबाद और करनाल शामिल हैं। भारत सरकार ने इन शहरों के लिए विशेष फास्ट ट्रेक पहल शुरू की है तथा फरीदाबाद और करनाल के लिए उन्नत स्मार्ट सिटी प्रस्ताव शीघ्र ही भेजे जाएंगे। सरकार ने गुड़गांव को अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

कृषि एवं बागवानी

38. हरियाणा पहली नवम्बर, 1966 को खाद्यान्नों की कमी वाला राज्य था। राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में नये आयाम स्थापित किए हैं और देश के अग्रणी खाद्यान्न उत्पादक के रूप में उभरा है। प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष 2014–15 में 152.36 लाख टन हो गया है, जोकि वर्ष 1966–67 में मात्र 25.92 लाख टन से छः गुणा है।

39. देश के कुल क्षेत्र में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.4 प्रतिशत होने के बावजूद प्रदेश केन्द्रीय अनाज भण्डार में 14.14 प्रतिशत योगदान दे रहा है। वर्ष 2015–16 में 173.44 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान है। खरीफ के लिए 52.33 लाख मीट्रिक टन और रबी के लिए 121.11 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की आशा है। इसी प्रकार, गन्ने, कपास, तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 91.20 लाख मीट्रिक टन, 26.76 लाख गांठें और 11.36 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

40. किसानों को समुचित मात्रा में रासायनिक खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय पर तैयारियां की गई। चालू वित वर्ष के दौरान रासायनिक खादों की खपत 15 लाख मीट्रिक टन हुई, जबकि पिछले वर्ष की खपत 13 लाख मीट्रिक टन ही थी।

41. वैश्विक स्तर पर चीनी के दामों में गिरावट से देश के चीनी उद्योग को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। इस वर्ष राज्य में स्थित निजी चीनी मिलों को मेरी सरकार द्वारा पहली बार 175 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई ताकि वे वर्ष 2014–15 के पिराई मौसम के दौरान खरीदे गये गन्ने का किसानों को भुगतान कर सकें।

42. मेरी सरकार ने राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा इसके जिला अम्बाला के काला अम्ब निकट गांव डेरा, जींद के सरकारी उद्यान एवं नर्सरी और जिला झज्जर के बख्तावर रैय्या में तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र खोले जाएंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और भारत सरकार से राज्य को 50 करोड़ रुपये की सहायता जारी करने का अनुरोध किया गया है।

स्वास्थ्य

43. मेरी सरकार राज्य के लोगों को सस्ती, सुलभ, उचित और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन, उपकरणों एवं दवाओं इत्यादि के उन्नयन के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संक्रामक और असंक्रामक रोगों के उपचार एवं निवारण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर. और एम.एम.आर.) में कमी लाना सरकार के विशेष प्राथमिकता के क्षेत्र हैं।

44. शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 2013 में 41 से घटकर 2015 में 33 हो गई है। राज्य के सभी 21 जिला अस्पतालों में पूरी तरह से कार्यरत एवं उपकरणों से सुसज्जित विशेष नवजात शिशु देख–रेख इकाइयां (एस.एन.सी.यू.) स्थापित हैं। हरियाणा को वर्ष 2015 में नेशनल समिट फॉर बैस्ट प्रैक्टिसिस के दौरान जनसंख्या स्थिरीकरण, नवजात शिशु उत्तरजीविता और मातृ उत्तरजीविता की श्रेणियों में पुरस्कार मिला है।

45. मेरी सरकार, विभिन्न सिविल अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.आर. आई. तथा सी.टी. स्कैन मशीनें सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति के माध्यम से स्थापित करके रेडियो डायग्नोस्टिक सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य के चार नागरिक अस्पतालों में हीमोडायलिसिस तथा कार्डियक कैथेट्राइजेशन लैबोरेट्री सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। मेरी सरकार डेंगू के निदान और रोकथाम के लिए सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त उपचार उपलब्ध करवा रही है।

46. मेरी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अपने स्वास्थ्य और देखभाल संस्थानों को राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाता मान्यता बोर्ड (एन.ए.बी.एच.) से मान्यता दिलाने के लिए कदम उठाए हैं। जून, 2015 में सिविल अस्पताल, पंचकूला की प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण एवं जांच प्रयोगशालाएं मान्यता बोर्ड से मान्यता मिली थी। हम राज्य के सरकारी अस्पतालों में एक ई–उपचार अस्पताल प्रबन्धन तथा सूचना प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए चार स्वास्थ्य संस्थानों में पायलट फेज को पूरा कर लिया गया है। इस प्रणाली के कई भाग हैं– जैसेकि रोगी पंजीकरण, इलैक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकार्ड (ई.एच.आर.) तथा अन्य सहायक इकाइयां।

[श्री अध्यक्ष]

47. पैंटावेलेंट वैक्सीनेशन शुरू करने वाला हरियाणा उत्तर भारत का पहला राज्य है और इस वर्ष से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में रोटावायरस वैक्सीन की शुरूआत करने वाले भारत के चार राज्यों में से एक बनने जा रहा है। मिशन इन्द्रधनुष के तहत, विभिन्न जिलों में 86 हजार प्रतिरक्षण सत्रों के माध्यम से 56 लाख टीके लगाए गये हैं।

48. मेरी सरकार ने नशाखोरी के लिए दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाए हैं। बहुत से छापे, विशेष रूप से पंजाब सीमा से लगते क्षेत्रों में, मारे गये और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मेरी सरकार ने तम्बाकू सामग्री युक्त गुटका और पान–मसाला पर भी प्रतिबंध लगाया है। निकोटीन और इसके अवयवों को जहर के रूप में अधिसूचित किया गया है ताकि हुक्का बारों में इनके इस्तेमाल को रोका जा सके। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषध जांच प्रयोगशाला द्वारा किये गये परीक्षणों के सभी परिणामों को ऑनलाइन किया गया है।

49. जीवनशैली से सम्बन्धित कई दीर्घकालीक बीमारियों की रोकथाम तथा शमन में आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा प्रणालियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। देश में तथा वैश्विक स्तर पर आयुष चिकित्सा प्रणालियों के प्रति रूझान बढ़ा है। इस समय सभी जिला अस्पतालों में आयुष विंग हैं। मेरी सरकार की योजना सभी जिलों में चरणबद्ध ढंग से पंचकर्म केन्द्र स्थापित करने की है ताकि नागरिकों को ये सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।

50. राज्य में आयुष विज्ञान तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार की कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है। गांव पट्टीकारा (नारनौल) में बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है। पंचकूला में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। लगभग 25 हजार औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए मोरनी की पहाड़ियों में एक 'वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट' की योजना बनाई गई है।

स्कूल शिक्षा

51. माननीय सभासदो! शिक्षा क्षेत्र में, लक्षित आयु समूह के बच्चों की आसान पहुंच के अंदर स्कूल उपलब्ध करवाने में पहुंच तथा समानता के सम्बन्ध में काफी सुधार किया गया है, हालांकि, शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का विषय रही है। अध्ययन परिणामों में सुधार के दृष्टिगत, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू करके सरकार द्वारा विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं, जिसमें कक्षा कार्य–सम्पादन पर विशेष बल दिया गया है। विद्यार्थियों के अध्ययन के अंतर को पाटने के लिए, लगभग 3200 प्राथमिक पाठशालाओं में रैमेडियल टीचिंग शुरू की गई है। शीघ्र ही इसे सभी राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में शुरू किया जाएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्राथमिक कक्षाओं में नई पाठ्य–पुस्तकें शुरू की जाएंगी, जिनमें अध्ययन आधारित गतिविधि पर विशेष बल दिया जाएगा। स्कूलों में शैक्षणिक परिवेश को सुधारने के लिए नियमित रूप से अभिभावक–अध्यापक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मेरी सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों में मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना भी है।

52. मेरी सरकार ने हमारे विद्यार्थियों के रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा लागू करके माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर भी बल दिया है। 490 स्कूलों में इस कार्यक्रम को लागू किया है, जिनमें 41,570 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हुआ है।

53. गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में 'बेटी का सलाम, राष्ट्र के नाम' मनाया गया, जिसमें गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी–लिखी लड़की को उसके परिवार के साथ स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आमंत्रित किया गया। उसे स्कूल प्रबन्धन समिति की मानद सदस्यता भी दी गई। इस कार्यक्रम को सभी समुदायों से बड़ी सराहना मिली।

54. 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के तहत, सरकारी स्कूलों में फरवरी माह में जन्मी कन्याओं का जन्म दिवस 'कन्या जन्मोत्सव' के रूप में मनाया गया। इस समारोह में इन कन्याओं की माताओं को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। जिन छात्राओं का जन्मदिन जिस माह में आता है, उनका जन्मदिन उस माह के प्रत्येक तीसरे मंगलवार को 'बेटी का जन्म दिन–स्कूल में अभिनंदन' के तौर पर मनाया जाता है।

55. मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में छात्र तथा छात्राओं के लिए कम से कम एक–एक अलग चालू शौचालय हो। सरकार 'डिजीटल सशक्तिरकण' के लिए प्रतिबद्ध है और स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ एम.आई.एस. विकसित किया जा रहा है। 'मिड–डे मील' स्कीम की निगरानी व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल एप भी शुरू किया गया है।

उच्चतर शिक्षा

56. मेरी सरकार उच्चतर शिक्षा तक न्यायोचित तथा सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है। इस वर्ष के दौरान, पांच नये राजकीय महाविद्यालय शुरू किये गये तथा तीन नये स्व–वित्त पोषित लॉ कॉलेज और 23 स्व–वित्त पोषित डिग्री कॉलेज खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, बहादुरगढ़ में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एक विधेयक पारित किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए, मेरी सरकार ने पूरे प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसरों के 1647 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया है।

57. वर्तमान में 110 राजकीय महाविद्यालयों में से 32 महाविद्यालय तथा निजी प्रबंधन वाले 97 महाविद्यालयों में से 35 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं। मेरी सरकार लड़कियों के लिए ऐसे ही और महाविद्यालय खोलने के लिए वचनबद्ध है, ताकि उच्चतर शिक्षा तक अधिक से अधिक लड़कियों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न परा–स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 2.47 लाख से अधिक आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र निशुल्क ऑनलाइन भरे, जिनमें से प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश की इस पहल के माध्यम से 1.72 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

58. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य ने शेष योजना अवधि के लिए 132.54 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसमें विश्वविद्यालयों के लिए ढांचागत अनुदान के तहत 5 विश्वविद्यालयों को, मॉडल डिग्री कॉलेज के रूप में उन्नयन के लिए एक कॉलेज को, कॉलेजों के लिए ढांचागत अनुदान के तहत 17 सरकारी कॉलेजों को, समान पहलों के तहत दो कन्या छात्रावासों को तथा संकाय सुधार के लिए गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के मानव संसाधन विकास केन्द्र को शामिल किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा

59. मेरी सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों अर्थात् आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा तथा ऐसे अन्य संकायों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

60. मुझे आपको यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि गांव बाढसा, झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का भूमि पूजन 12 दिसम्बर, 2015 को किया जा चुका है। यह 710 बिस्तर का संस्थान तीन वर्ष में तैयार हो जाएगा और अमेरिका के एनसीआई की तर्ज़ पर होगा, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान अक्तूबर, 2014 में एक समझौता–पत्र पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके साथ ही मेरी सरकार ने अपने युवाओं को नर्सिंग तथा पैरामेडिकल प्रशिक्षण के साथ–साथ चिकित्सा शिक्षा में परा–स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जिला रेवाड़ी के गांव मनेठी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है। वैज्ञानिक संस्कृति, मरीज तथा सेवा से वंचित के लिए सेवाभाव की प्रतिबद्धता के साथ चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में यह उत्कृष्टता केंद्र राज्य के लिए एक वरदान साबित होगा।

61. सरकार ने विभिन्न संस्थानों में जी.एन.एम. तथा एम.पी.एच.डब्ल्यू. जैसे पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीयकृत ऑनलाइन परामर्श के माध्यम से प्रवेश–प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में गुणवत्तापरक शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए सहायक पर्यवेक्षण शुरू किया गया है। मेरी सरकार अध्ययन प्रबंधन प्रणाली तथा आभासी अध्ययन परिवेशों से ऑनलाइन अध्यापन द्वारा चिकित्सा शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु गम्भीर है।

62. मेरी सरकार हरियाणा चिकित्सा परिषद्, हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद्, हरियाणा राज्य दंत चिकित्सा परिषद्, हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद्, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली परिषद्, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड तथा मेडिकल एजुकेशन सोसायटी जैसे विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विनियामक परिषदों के लिए 'स्वर्ण जयन्ती भवन' के निर्माण का इरादा रखती है।

63. मेरी सरकार परेशानी–मुक्त तथा सुचारू ढंग से विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में रोगियों की सुविधा के लिए पीजीआईएमएस, रोहतक में पायलट आधार पर शुरू

की गई 'मरीज मित्र' योजना का विस्तार प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों तक करने का इरादा रखती है। पीजीआईएमएस, रोहतक तथा बीपीएस राजकीय चिकित्सा महिला महाविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत में चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े अस्पतालों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

64. मेरी सरकार का सभी स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का इरादा है। राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति स्कूलों में 'विज्ञान क्लबों की स्थापना' के नाम से एक नई योजना अक्टूबर, 2015 में शुरू की गई। ये विज्ञान क्लब युवा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरूचि तथा जागरूकता पैदा करने में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और संवादमूलक, अनौपचारिक तथा औपचारिक तरीके से विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों के अनुभव का अवसर भी उपलब्ध करवाएंगे ताकि कक्षाओं में पढ़ाए गये विज्ञान में सिद्धांत पाठों का विस्तार हो सके।

65. प्रौद्योगिकी के महत्त्व तथा देश के समग्र विकास के लिए इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और जनसाधारण के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अब हरियाणा के तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थानों में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा।

66. मेरी सरकार द्वारा एक ही तरह के सभी विभागों की आयोजना जरूरतों को पूरा करने हेतु भू–स्थानिक डाटा उपलब्ध करवाने के लिए भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू–सूचना विज्ञान संस्थान, गांधीनगर, गुजरात के सहयोग से हरियाणा स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के तहत एक जियो–पोर्टल के विकास की प्रक्रिया जारी है। इससे अन्य विभागों/संगठनों से भी स्थानिक डाटा लिया जा सकेगा और इसे सभी उपयोगकर्ताओं के प्रयोग के लिए इंटर–आप्रेबल परतों के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। जियो–पोर्टल विभिन्न उपभोक्ता विभागों की आयोजना जरूरतों के लिए विश्वसनीय स्थानिक डाटा उपलब्ध करवाएगा। जींद जिले के भू–राजस्व रिकार्ड को हाल ही में भू–स्वामी के आधार नम्बर से जोड़कर इस दिशा में एक अच्छी पहल की गई है।

67. सोहना तहसील में चलाई गई 'उड़ान' नामक एक पायलट परियोजना ने विस्तृत जानकारी सृजित की है, जोकि शहरी आयोजना से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में लाभकारी साबित हो रही है। इस परियोजना के तहत ड्रोन के रूप में लोकप्रिय मानव रहित हवाई वाहन (यू.ए.वी.) का उपयोग करके 5 सैंटीमीटर रेजोल्यूशन की छवियां हासिल की गई हैं। इस प्रकार के विस्तृत मानचित्रण की उपलब्धता दूरसंवेदी उपग्रहों के माध्यम से संभव नहीं है और विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में यह एक बड़ा कदम है। सरकार 'उड़ान परियोजना' में अर्जित अनुभव का लाभ सभी शहरों के विस्तृत डिजिटल मानचित्रण हेतु उठाने का इरादा रखती है।

उद्योग एवं वाणिज्य

68. राज्य को विकास पथ के अगले चरण में ले जाने के लिए, मेरी सरकार ने एक अनूठी 'उद्यम प्रोत्साहन नीति–2015' बनाई है। इस नीति में हरियाणा को एक प्रमुख निवेश गन्तव्य

[श्री अध्यक्ष]

के रूप में स्थापित करके विकास दर को 8 प्रतिशत से अधिक करने, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश और 4 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

69. उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों से संबंधित स्वीकृतियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 15 जनवरी, 2016 को ई–बिज पोर्टल शुरू किया गया है। विकेन्द्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश तथा एक एकड़ से अधिक के सीएलयू वाली परियोजनाओं की स्वीकृति अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति द्वारा दी जाएगी। दस करोड़ रुपये तक के निवेश तथा एक एकड़ तक के सीएलयू वाली परियोजनाओं की स्वीकृति उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा दी जाएगी। वैब–पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं की उपलब्धता अक्टूबर, 2015 में शुरू किये गये एच.एस.आई.आई.डी.सी. के इंटीग्रेटेड पेमैंट गेटवे पर उपलब्ध है और समयबद्ध कार्यक्रमों के साथ स्वीकृतियों के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत उद्योगों से संबंधित 119 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

70. हरियाणा के शिक्षित युवा वर्ग में उद्यमशीलता की भावना जागृत करने के लिए स्टार्ट–अप पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह प्रत्येक विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेटर केंद्र शुरू करने तथा स्टार्ट–अप नीति की घोषणा का प्रणेता है।

71. दिल्ली से मुम्बई तक डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर के साथ–साथ निवेश का लाभ उठाने के लिए, राज्य सरकार तीन प्रमुख पहलों नामतः दक्षिणी हरियाणा में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, गुड़गांव में ग्लोबल सिटी और गुड़गांव–मानेसर–बावल को जोड़ने वाले मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की योजना बना रही है।

72. मेरी सरकार द्वारा भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत औद्योगिक सम्पदा, बड़ी में लगभग 75 एकड़ भूमि पर एक मैगा फूड पार्क प्रोजैक्ट स्थापित करना प्रस्तावित है। परियोजना स्थल को चिह्नित कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार 50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध करवाएगी। उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए इस मेगा फूड पार्क में लगभग 100 प्लाट व शेड काटे जाएंगे।

73. मध्यस्थों, ट्रिब्यूनलों और न्यायालयों के स्तर पर विभिन्न विभागों के पास एक वर्ष से अधिक समय के लिए लम्बित मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के दीर्घकालिक विवादों तथा मुकद्दमों के निपटान हेतु, सरकार ने एक विवाद निपटान समिति का गठन किया है। ई–बिज पोर्टल पर विवाद निपटान तंत्र भी संचालित कर दिया गया है। सरकार ने विशेष रूप से प्रदेश में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए, उनके मुद्दों के समाधान हेतु तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित कर दी है।

74. हरियाणा में 181 करोड़ रुपये की लागत से एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भारत सरकार 40 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। राज्य

में 14 करोड़ रुपये की लागत से एक इन्क्यूबेटर केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। लगभग 120 एकड़ में लगने वाली रेल कोच फैक्टरी भी पाइप लाइन में है। भारत सरकार ने प्रदेश में रेल सम्पर्क का विस्तार करने के लिए हाल ही में बड़ा निवेश करने की घोषणा की है।

बिजली

75. मेरी सरकार ने सभी उपभोक्तओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश में बिजली दक्षता में और सुधार लाने तथा लागत को कम करने के लिए पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की पुरानी और अक्षम यूनिट 1 से 4 को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। इसी उद्देश्य के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए, अरावली विद्युत परियोजना, झाड़ली की बिजली का परित्याग करने का निर्णय लिया गया है, जिससे लगभग 815 करोड़ रुपये की बचत होने की सम्भावना है। प्रदेश में दीर्घावधि बिजली सुरक्षा के लिए झारखंड में 102 मिलियन टन की कल्याणपुर–बादलपाड़ा कोयला खान विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से राज्य को आबंटित है।

76. मेरी सरकार का विज़न सभी ग्रामीण घरेलू उपभोक्तओं को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का है। गत कई दशकों से ग्रामीण घरेलू क्षेत्र को 10 से 12 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग अक्षमता है। इस समस्या के समाधान के लिए पहली जुलाई, 2015 को 'म्हारा गांव जगमग गांव' नामक एक नई योजना शुरू की गई, जिसके बेहतरीन परिणाम आए हैं। इस योजना के तहत, 83 फीडरों में पड़ने वाले 297 गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाकर 15 घंटे प्रतिदिन की गई। निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने वाले नौ फीडरों के 25 गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाकर 18 घंटे प्रतिदिन की गई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस वर्ष में इस योजना का विस्तार 177 अतिरिक्त फीडरों तक किया जा रहा है, जिसके उपरांत लगभग 1000 गांवों को 15 घंटे प्रतिदिन की बढ़ी हुई बिजली आपूर्ति होगी।

77. माननीय सभासदो! मेरी सरकार ने भारत सरकार की 'उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना' क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वितरण कम्पनियों के 25,950 करोड़ रुपये के ऋण राज्य सरकार चरणबद्ध रूप से अपने जिम्मे लेगी। इससे, मंहगे ऋण अपेक्षाकृत सस्ते बॉण्ड में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप बिजली वितरण निगमों को ब्याज लागत में पर्याप्त बचत होगी। इसके साथ–साथ, बिजली वितरण निगमों की कार्य दक्षता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि आगामी तीन वर्षों के अन्दर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। विभिन्न शहरी क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति प्रणाली सुदृढ़ की जा रही है। गुड़गांव में स्मार्ट इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गुड़गांव शहर और इसके साथ लगते औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति की यह एक अनूठी परियोजना होगी।

अक्षय ऊर्जा

78. प्रदेश में सौर ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन एवं क्लीन बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, 23 मैगावाट सौर ऊर्जा के चार बिजली खरीद समझौते तथा 165

[श्री अध्यक्ष]

मैगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की 13 परियोजनाएं आबंटित करने के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ समझौते किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करके कुल 33 करोड़ रुपये की लागत से 16 मैगावाट की सोलर रूफ टॉप परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन सभी बिजली संयंत्रों को नेट मीटरिंग सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली ग्रिड को निर्यात की जा सकेगी और प्रयोक्ता इसका एक वर्ष के अन्दर उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य नीति के तहत आने वाले विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा लगभग चार मैगावाट के सोलर रूफ टॉप संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं।

79. प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए एक अनुकूल माहौल सृजित करने हेतु 8 मार्च, 2016 को गुड़गांव में 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर्स सम्मिट' के दौरान हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2016 जारी की गई। इस नीति में प्रदेश में सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निवेशकों को अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। उद्यमियों द्वारा 75,200 करोड़ रुपये के समझौते अब तक किये जा चुके हैं।

80. किसानों की सिंचाई आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा वाटर पम्पिंग प्रणालियां स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान 30 प्रतिशत की दर से राज्य और 30 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सबसिडी उपलब्ध करवाकर 500 सोलर वाटर पम्प स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष में कुल 39 करोड़ रुपये की लागत से 3050 सोलर वाटर पम्पिंग प्रणालियां स्थापित करना प्रस्तावित है।

81. हरियाणा स्वर्ण जयन्ती वर्ष समारोहों के उपलक्ष्य में, मेरी सरकार ने तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से लाभानुभोगियों को कुल 180 करोड़ रुपये की लागत से 100–100 वॉट के एक लाख सोलर होम सिस्टम उपलब्ध करवाने का एक नया मुख्य कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसे एक सिस्टम से तीन एलईडी लाइट, एक सीलिंग फैन और एक मोबाइल चार्चिंग पोर्ट चलाया जा सकेगा।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

82. मेरी सरकार ने चालू वर्ष में 4700 किलोमीटर से अधिक लम्बे विभिन्न राज्यीय राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए अब तक के सर्वाधिक 1560 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए हैं। ये कार्य प्रगति पर हैं और मई, 2016 के अंत तक पूरे हो जाएंगे। शेष सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य वर्ष 2016–17 के दौरान किया जाएगा। गांवों से गुजरने वाली सड़कों को 3.66 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत इस वर्ष के दौरान 250 किलोमीटर लम्बी सड़कों को चौड़ा किया गया है। आगामी वर्ष के दौरान गांवों से गुजरने वाली 1250 किलोमीटर लम्बी सड़कों को 3.66 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है।

83. हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए, मेरी सरकार वैकल्पिक नई सामग्री तथा प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर कार्य कर रही है, जिससे न केवल

प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी, बल्कि कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी। तारकोल की सड़कों के स्थान पर रखरखाव–मुक्त कंक्रीट की सड़कें बनाने की भी योजना है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा इसे और अधिक सुधारने के लिए, सरकार ने राज्य गुणवत्ता नियंत्रक नियुक्त करके एक अतिरिक्त निगरानी स्तर शुरू करने का निर्णय लिया है।

84. प्रदेश में 759 रेलवे फाटक हैं, जिनमें से 592 मानव नियंत्रित हैं। हमने भारतीय रेलवे के सहयोग से वर्ष 2020 तक सभी मानव रहित रेलवे फाटकों को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इससे दुर्घटनाओं की दर में कमी आएगी और अमूल्य मानव जीवन बचाया जा सकेगा।

85. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, हरियाणा ने 4558 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सफलतापूर्वक उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया है। राज्य पीएमजीएसवाई–II में भागीदारी के लिए पात्र बना है और अब सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत निधियों के आबंटन की प्रतीक्षा में है। राज्य स्तरीय स्थायी कमेटी द्वारा हाल ही में 187 किलोमीटर लम्बी 28 सड़कें स्वीकृत की गई हैं और केन्द्र सरकार से स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

86. मेरी सरकार ने भारत सरकार से राज्य में पांच मार्गों नामतः गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी सड़क, फतेहाबाद–रतिया–बुढ़लाडा मंडी भाग, जींद–सफीदों–पानीपत सड़क, तीतरम मोड़–कैथल–जींद–हांसी सड़क और हिसार–तोशाम–बाढड़ा–सतनाली–महेन्द्रगढ़–रेवाड़ी नए राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने और इन्हें चार मार्गी बनाने के लिए आग्रह किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अम्बाला से सिवानी तक राष्ट्रीय राजमार्ग–65 को चार मार्गी बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग–73 के बरवाला से जगाधरी तक के भाग को चार मार्गी बनाने का कार्य शुरू किया गया है तथा पंचकूला से बरवाला तक के शेष भाग के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

87. मेरी सरकार ने जींद–सोनीपत रेल लाइन का निर्माण करवाया है और लागत के 50 प्रतिशत का योगदान दिया है। इस लाइन को निकट भविष्य में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। रोहतक–महम–हांसी रेल लाइन का कार्य भी शुरू हो चुका है और इसके आगामी दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है। सरकार ने रोहतक शहर में वर्तमान रेल ट्रैक को ऊंचा उठाने और नीचे की भूमि पर सड़क के निर्माण की अनुमति देने का मामला रेलवे के साथ उठाया है ताकि शहर में यातायात के दबाव को कम किया जा सके। मेरी सरकार ने एक संयुक्त उद्यम इकाई का गठन करके हरियाणा में रेलवे तंत्र के सुधार हेतु रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता करने का भी निर्णय लिया है, जिससे नई रेल लाइनों को चालू करने और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाई जा सकेगी।

88. चालू वित्त वर्ष के दौरान, जिला मेवात में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर 14.28 किलोमीटर लम्बी फिरोजपुर झिरका–बिवान सड़क को दो लेन बनाने के कार्य हेतु बोली आमंत्रित की जा रही है।

सिंचाई एवं जल संसाधन

89. हरियाणा में 1461 चैनलों का 14085 किलोमीटर लम्बा विस्तृत नहरी तंत्र है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में एक व्यापक जल निकासी तंत्र है, जिसमें 5144 किलोमीटर से अधिक

[श्री अध्यक्ष]

लम्बी 801 ड्रेन हैं। इस प्रणाली के निरन्तर संचालन के कारण वाहक चैनलों की प्रवाह क्षमता कम हो गई है। मेरी सरकार की वाहक प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने की योजना है, ताकि मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी का सिंचाई के साथ–साथ भू–जल के संरक्षण एवं भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए प्रयोग किया जा सके। जेएलएन नहर प्रणाली के सुधार की एक प्रमुख परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसकी लागत 143 करोड़ रुपये है। इसका कार्य शुरू हो चुका है और दो वर्षों में चरणबद्ध ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। पश्चिमी यमुना कनाल वाहक प्रणाली की अड़चनों को दूर करने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से पांच पुराने जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान विभाग द्वारा नहर तंत्र के पुनर्वास पर लगभग 85 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आगामी वित्त वर्ष के दौरान पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, पृथला डिस्ट्रीब्यूटरी, पहाड़पुर माइनर, खनौरी माइनर, जाखौली डिस्ट्रीब्यूटरी, टोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी, न्यू उरलाना माइनर, जहांगीरपुर माइनर, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी, बस्सई डिस्ट्रीब्यूटरी इत्यादि पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्वास कार्य करना प्रस्तावित हैं।

90. सिंचाई आपूर्ति प्रणाली में हर प्रकार के समाधान, जल स्रोतों के सृजन, वर्षा के पानी का दोहन, वितरण तंत्र, खेतों में कुशल अनुप्रयोग एवं नई प्रौद्योगिकियां व सूचना विस्तार सेवाएं आदि के लिए भारत सरकार की 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत राज्य के छः जिलों नामतः अम्बाला, सोनीपत, झज्जर, सिरसा, रोहतक एवं हिसार के लिए जिला सिंचाई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शेष जिलों की जिला सिंचाई योजनाएं आगामी वित्त वर्ष में तैयार की जाएंगी।

91. कुल 15404 जलमार्गों में से लगभग 9600 जलमार्गों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत पक्का किया गया है। चूंकि इनमें से कई जलमार्गों को 30 वर्ष से भी पहले पक्का किया गया था, अतः ये क्षतिग्रस्त हैं और बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, इस कार्य के लिए 60 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। लगभग 84 जलमार्गों के सुधार का कार्य 36 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, 300 करोड़ रुपये की लागत से 565 जलमार्गों के सुधार की एक परियोजना हाल ही में नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गई है।

92. प्रदेश के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान, मेरी सरकार ने नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सहयोग से उपलब्ध भू–जल के समुचित उपयोग के लिए सूक्ष्म–सिंचाई की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार, 25 करोड़ रुपये की लागत से 13 जिलों के लिए छिड़काव एवं टपका सिंचाई की एक पायलट परियोजना आगामी वित्त वर्ष में लागू की जाएगी।

93. हांसी–बुटाना नहर, जिसका निर्माण भाखड़ा कमांड से पश्चिमी यमुना–कनाल और लिफ्ट कमांड तक राबी–ब्यास का अपने हिस्से का पानी लाने के लिए किया गया था, को सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण चालू नहीं किया जा सका है। इस मामले में 2 फरवरी, 2016 को गवाही पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही बहस शुरू हो जाएगी।

पुरातत्त्व एवं संग्रहालय

94. हरियाणा राज्य में 30 संरक्षित स्मारक एवं स्थल और 5 क्षेत्रीय संग्रहालयों के साथ–साथ एक स्थल संग्रहालय है। डैक्कन कॉलेज, पुणे के सहयोग से राखी गढ़ी, हिसार में की गई खुदाई के दौरान हड़प्पा काल की अद्‌भुत पुरातात्त्विक सामग्री, पुरावशेष एवं कंकाल मिले हैं। राखी गढ़ी में डैक्कन कॉलेज, पुणे के सहयोग से यह खुदाई का कार्य आगामी वर्ष में भी जारी रहेगा।

95. मेरी सरकार ने राखी गढ़ी में स्थल संग्रहालय–सह–विवेचन केन्द्र के निर्माण के लिए 23.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस उद्‌देश्य के लिए राखी गढ़ी ग्राम पंचायत ने 5 एकड़ भूमि पहले ही हस्तांतरित कर दी है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

96. मेरी सरकार सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने को सर्वोच्च प्रथामिकता दे रही है। चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए 1058 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये गए हैं। जिला भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार तथा सिरसा के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड से अनुमोदित 456 करोड़ रुपये की परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।

97. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले सात शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज तथा बरसाती पानी की निकासी सुविधाएं उपलब्ध करवाने व इनके सुधार के लिए 309 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत, सोनीपत और पानीपत शहरों के लिए सीवरेज सुविधाओं के संवर्धन और सुधार तथा सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए क्रमशः 88 करोड़ रुपये तथा 129 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

98. मेरी सरकार ने 300 करोड़ रुपये की लागत से शिवालिक क्षेत्र तथा दक्षिणी हरियाणा में जलापूर्ति योजनाओं के संवर्धन हेतु परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं में तोशाम, सिवानी, लोहारू, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा, झज्जर और हिसार शहरों के लिए जलापूर्ति का संवर्धन शामिल है। मेवात क्षेत्र में जलापूर्ति के सुधार हेतु कुल 95 करोड़ रुपये लागत की चार परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

99. मेरी सरकार ने ग्रामीण आबादी द्वारा असुरक्षित पेयजल की खपत के कारण होने वाले रोगों से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है। अब तक 9059 स्रोतों की फ्लोराइड जांच की गई है, जिसमें से 508 जल स्रोतों को फ्लोराइड युक्त पाया गया। इसके अतिरिक्त, 3710 स्रोतों की आर्सेनिक जांच की गई, जिसमें से 10 स्रोतों को आर्सेनिक युक्त पाया गया। अधिकतर प्रभावित गांव में वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों की पहचान की गई है।

100. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अपनी उद्यम स्रोत आयोजना प्रणाली शुरू की है। यह अविष्कार, वित्त, प्रचालन, चालू कार्यों, मानव संसाधन, जल गुणवत्ता तथा कार्यालय प्रबन्धन जैसे कार्यों तथा संसाधनों के प्रबन्धन हेतु एक समेकित आईटी समाधान है। उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु पानी तथा सीवर के लिए बिलिंग सूचना प्रणाली (बिसवास) भी

[श्री अध्यक्ष]

शुरू की गई है। ईआरपी एप्लीकेशंस के परिणामस्वरूप उच्च दक्षता व पारदर्शिता आई है, निर्णय–निर्धारण में तेजी आई है, कार्यों और परिसम्पत्तियों की बेहतर निगरानी संभव हुई है, सूचना की वास्तविक समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा उपभोक्ता और कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर में भी वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

101. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करके उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। हमने "मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" शुरू की है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों, टपरीवास जातियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये की राशि दी जाएगी।

102. अनुसूचित जातियों और विमुक्त जनजातियों तथा टपरीवास जातियों के लोगों की आवास की समस्या के समाधान के लिए मेरी सरकार द्वारा "अनुसूचित जातियों और विमुक्त जनजातियों के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना" क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों और विमुक्त जनजातियों से सम्बंधित लोगों को मकान के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में 50,000 रुपये तथा मकान की मरम्मत के लिए अनुदान के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान 40 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

103. जाति बोध समाप्त करने तथा समाज में समानता सुनिश्चित करने के लिए, यदि अनुसूचित जाति से सम्बंधित हरियाणा का कोई लड़का या लड़की किसी गैर– अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह करता है तो मेरी सरकार ने "मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना" के तहत 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,01,000 रुपये करने का निर्णय लिया है।

104. 'डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना' के तहत, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को 9वीं से 11वीं कक्षा तक, स्नातक के प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए 8000 रुपये से 12000 रुपये वार्षिक की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। वर्ष 2015–16 के दौरान इस कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, जिसमें से 14 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

105. भारत सरकार की 'अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के तहत विभिन्न कक्षाओं में प्रति विद्यार्थी 230 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा, जिन विद्यार्थियों के अभिभावक या माता–पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है, उन विद्यार्थियों को अनिवार्य अप्रतिदेय फीस की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 से ऑनलाइन आवेदन

आमंत्रित किए जा रहे हैं तथा इस स्कीम के लिए कुल 259 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है।

106. इसी प्रकार, पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं में प्रति विद्यार्थी 160 रुपये से 750 रुपये तक प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभिभावक या माता–पिता की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये है। दिसंबर, 2015 तक 598.53 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 के दौरान इस कार्य के लिए कुल 13.64 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के अंर्तगत वर्ष 2015–16 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

107. मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने, विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की निगरानी करने तथा उनके विकास के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की है।

108. अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं तथा लड़कियों को स्वरोजगार हेतु तैयार करने के लिए सिलाई प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। विभाग द्वारा 73 केंद्र चलाए जा रहे हैं और प्रत्येक केन्द्र में अनुसूचित जाति के 20 और पिछड़े वर्गों के 5 प्रशिक्षुओं को दाखिला दिया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षु को 100 रुपये प्रतिमास का वजीफा और कच्चे माल के लिए 150 रुपये प्रतिमास दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षु को एक नई सिलाई मशीन भी निःशुल्क दी जाती है।

महिला एवं बाल विकास

109. मेरी सरकार विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, संस्थागत और कानूनी सहायता के द्वारा महिलाओं और किशोरियों तथा नवजात कन्याओं के अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाकर तथा अध्ययन तक पहुंच बढ़ाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

110. लिंग आधारित चयनित गर्भपात पर अंकुश लगाने तथा लड़कियों की उत्तरजीविता, शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए शुरू में अति असंतुलित लिंगानुपात वाले 12 जिलों को चुना गया था। अब, भारत सरकार ने हरियाणा के आठ और जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी समुदायों और सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए विभिन्न कदम उठाएं हैं। रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, लोक कला, फिल्म शो, प्रभात फेरियों, कठपुतली शो, स्वास्थ्य शिविरों, सांझी प्रतियोगिताओं, बैलून मार्च, कुंआ पूजन जैसे मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रदेशभर में निरन्तर जागरूकता पैदा की जा रही है।

111. कम लिंगानुपात की समस्या से निपटने तथा बालिकाओं के प्रति परिवार और समुदाय की सोच बदलने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने "आपकी बेटी–हमारी बेटी" के नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा बीपीएल परिवारों में जन्मी पहली लड़की के लिए तथा सभी परिवारों में दूसरी लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये का निवेश

[श्री अध्यक्ष]

किया जाता है जोकि 18 वर्ष के बाद परिपक्वता के बाद लगभग एक लाख रुपये हो जाएगा। अब सरकार ने तीसरी लड़की तक इस योजना का विस्तार किया है। मेरी सरकार ने माताओं को उनके बच्चों, विशेषकर लड़कियों के समुचित पालन–पोषण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सर्कल तथा खंड स्तर पर श्रेष्ठ माता पुरस्कार की राशि में चार गुणा बढ़ोतरी की है।

112. मेरी सरकार ने प्रत्येक जिले में संरक्षण–सह–बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान, प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 30 विभिन्न सेवा प्रदाताओं का चयन किया गया है, जिनमें हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैडक्रॉस समितियां और जिला बाल कल्याण परिषदें शामिल हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय उपलब्ध करवाने के लिए तीन आश्रय गृह अधिसूचित किये गए हैं तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी को अधिसूचित किया गया है। घरेलू हिंसा से सम्बन्धित 5836 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1840 शिकायतों का निवारण किया गया है। इस वर्ष के दौरान बाल विवाह के सम्बन्ध में 242 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 153 का समाधान कर दिया गया है। संरक्षण–सह–विवाह निषेध अधिकारी अब राज्य में नव स्थापित महिला पुलिस थानों से काम कर रहे हैं।

113. समेकित बाल संरक्षण स्कीम एक सुरक्षा स्कीम है, जिसके तहत जरूरतमंद बच्चों और बाल अपराधियों की देखभाल और संरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमें चलाई जाती हैं। प्रदेश में सरकारी, अर्द्ध–सरकारी और निजी संगठनों द्वारा 85 बाल देखभाल संस्थान चलाए जा रहे हैं। ये गृह प्रदेश के सभी 21 जिलों में हैं और लगभग 4000 बच्चों को इनका लाभ हो रहा है।

114. मेरी सरकार द्वारा महिला और बाल कल्याण के लिए पांच नई योजनाएं नामतः स्वर्ण जयंती बाल आहार उत्पादन केन्द्र, स्वर्ण जयन्ती स्वस्थ बचपन स्कीम, स्वर्ण जयन्ती नारी सरंक्षण गृह, स्वर्ण जयन्ती बाल सुधार गृह तथा स्वर्ण जयन्ती पुरस्कार योजना शुरू की जानी प्रस्तावित हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

115. मेरी सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिये वचनबद्ध है। सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, किन्नरों, बौनों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और केवल लड़कियों वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये कई प्रभावी कदम उठाए हैं।

116. जो व्यक्ति स्वयं के संसाधनों से जीवनयापन करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये, मेरी सरकार ने पहली जनवरी, 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांगों की पेंशन, किन्नर व बौना भत्ता और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनाओं की दर 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी है। यह भी निर्णय

लिया गया कि हर वर्ष पहली जनवरी को इसमें 200 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार पहली जनवरी, 2019 को यह पेंशन 2000 रुपये प्रति मास हो जाएगी।

117. 'थारी पेंशन थारे पास' योजना से लाभपात्रों की पेंशन व भत्तों की राशि सीधे लाभपात्रों के बैंक खातों में जमा होना सुनिश्चित हुआ है ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार राशि निकलवा सकें। हरियाणा देश का पहला प्रमुख राज्य बन गया है, जहां पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत–प्रतिशत पेंशन लाभपात्रों के खातों में भेजी जा रही है। 80 वर्ष से अधिक आयु के चलने–फिरने में असमर्थ व्यक्तियों तथा दिव्यांगों की पेंशन बैंकिंग समय के उपरांत उनके घर–द्वार पर दी जा रही है। जनवरी, 2016 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत 22,04,750 व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं।

118. 'दिव्यांगों के लिये अनुकूल गृह' नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत दिव्यांगों को अपनी विशेष जरूरतों के अनुसार अपने घरों को अनुकूल बनाने के लिये 6 महीने की पेंशन अग्रिम रूप में दी जाएगी। यह राशि 42 महीनों की अवधि में वसूल की जाएगी। गणतन्त्र दिवस के अवसर पर, कुष्ठ रोग से ठीक हुए सभी 431 परिवारों को दिव्यांग जन सहायता योजना के अन्तर्गत ''दैनिक जीवनयापन गतिविधि किट'' दी गई। इसमें प्रत्येक चयनित परिवार के लिए एक विशेष मोबाइल फोन शामिल है।

119. श्रवण बाधित बच्चों की खुराक राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति मास की गई है और नेत्रहीनों के लिये यह राशि 600 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति मास की गई है। बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत, दो वर्षों के अन्तराल के बाद प्रदेश में 25 प्रतिशत से अधिक की अल्पसंख्यक आबादी वाले 6 जिलों के 15 खण्डों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये 24 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

120. भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल आईडी हेतु हरियाणा को एक पायलट स्टेट के रूप में चुना गया है, जिसके लिये कार्य आरम्भ हो चुका है। गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों का सुगम भारत अभियान के लिये चयन किया गया है। सभी नगरपालिकाओं को दिव्यांग जनों के लिये सुगम भारत अभियान चलाने के निर्देश दिये गए हैं। परित्यक्त व मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये एक गैर–सरकारी संस्था–अर्थ सेवियर्स के सहयोग से गांव बंधवाड़ी, गुड़गांव में एक गृह स्थापित किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण

121. मेरी सरकार का लक्ष्य शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भागीदारी के महत्त्वपूर्ण लाभों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना है। मेरी सरकार स्वास्थ्य और सेहत के मूल आधार के रूप में शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भागीदारी के स्तर को बढ़ाने में लोगों की सहायता करना और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। मेरी सरकार हरियाणा को खेलों का हब बनाना चाहती है जहां लोग अपने सामर्थ्य और रूचि के अनुसार खेलों में हिस्सा लें और उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भागीदार बनें।

[श्री अध्यक्ष]

122. मेरी सरकार ने खेल आधारभूत संरचना के सृजन और रखरखाव तथा खेल उपकरणों की खरीद के लिये हरियाणा खेल एवं शारीरिक स्वस्थता प्राधिकरण का गठन किया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देने व उन्हें उन्नत कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिये खेल विकास कोष बनाया गया है। मेरी सरकार ने साहसिक खेलों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के सृजन तथा गुणवत्तापरक साहसिक खेल अवसंरचना सृजित करने के साथ–साथ साहसिक खेलों को शुरू करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा साहसिक खेल अकादमी स्थापित की है। मेरी सरकार ने खेलों में कोचिंग और प्रतियोगिताओं के लिये खण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वैधानिक खेल परिषदें गठित करने का भी निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने योग प्रशिक्षकों के लिये सर्टिफिकेट कोर्स सहित कोचों, अंपायरों और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये राज्य खेल एवं शारीरिक स्वस्थता विकास संस्थान स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

123. प्रदेश में कुश्ती और कबड्डी बहुत लोकप्रिय खेल हैं। मेरी सरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस के अवसर पर हर वर्ष 23 मार्च को भारत केसरी दंगल का आयोजन करेगी। भारत केसरी दंगल विजेता को एक करोड़ रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा और दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 50 लाख रुपये व 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में दी जाने वाली यह पुरस्कार राशि देशभर में सर्वाधिक है। इसी प्रकार, अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता से भारतीय कबड्डी को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और प्रत्येक इच्छुक खिलाड़ी की आकांक्षा पूरी होगी। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता टीम को भी एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मेरी सरकार नियमित आधार पर राज्य और जिला खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने की इच्छुक है।

124. मेरी सरकार खिलाड़ियों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये हर जिले में स्वर्ण जयंती खेल सुविधा केन्द्र स्थापित करने जा रही है। इन सुविधा केन्द्रों में जिम्नेजियम, खिलाड़ियों के लिये लॉकर्स, कपड़े बदलने का कमरा, विश्राम कक्ष, खेल पोषण केन्द्र, श्रव्य–दृश्य केन्द्र, सम्मेलन कक्ष, प्राथमिक सहायता, परामर्श, डोपिंग रोधी परामर्श केन्द्र इत्यादि की सुविधाएं होंगी। स्वर्ण जयंती बहुउद्देश्यीय इन्डोर स्टेडियम और आउटडोर खेलों के लिये स्वर्ण जयंती खेल उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा।

125. मेरी सरकार ने एशियन खेलों और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को दिये जाने वाले नकद पुरस्कारों की लम्बित राशि भी वितरित की है और इस तरह खिलाड़ियों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव और निरुत्साह की भावना को दूर किया है।

126. मेरी सरकार मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिये हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों में आरक्षण देने की इच्छुक है।

तकनीकी शिक्षा

127. राज्य सरकार द्वारा आधुनिक और बाजार–संचालित व्यवसायों में अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हरियाणा और भारत के आर्थिक व चहुंमुखी विकास में हिस्सा लेने के लिए युवाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से 14 जुलाई, 2015 को हरियाणा कौशल विकास मिशन का शुभारम्भ किया गया। इस मिशन में युवाओं के स्कीलिंग, अप–स्कीलिंग, रि–स्कीलिंग और आकलन (सूर्या) योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह मिशन प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ विधिवत सूचीबद्ध परिधान, कपड़ा, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ऑटोमोटिव, रिटेल, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, इलैक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, प्लास्टिक विनिर्माण, ग्रीन जॉब्स तथा खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में हरियाणा में अनुप्रयुक्त ज्ञान और कौशल का प्रसार योजना (दक्ष) के तहत प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

128. इस मिशन के अन्तर्गत उद्योगों की सी.एस.आर. के बराबर योगदान करके उनकी सहभागिता से कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। शीघ्र ही एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उमरी (कुरूक्षेत्र), जाटल (पानीपत), धांगड़ (फतेहाबाद), हथनी कुण्ड (यमुनानगर), नीमका (फरीदाबाद), शेरगढ़ (कैथल), ईण्डरी और मालब (मेवात) में आठ राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं तथा इन्हें शीघ्र ही चालू किया जाएगा। जिला यमुनानगर के सढ़ौरा में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के निर्माण का प्रस्ताव है। पंचकूला के सैक्टर–26 और जिला रेवाड़ी के गांव धामलावास में राजकीय बहुतकनीकी–सह–बहु कौशल विकास केन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इन सभी राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में अल्पावधि के कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिला करनाल के नीलोखेड़ी में एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है।

129. तकनीकी शिक्षा विभाग और हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत डिप्लोमा कोर्सों को परा–स्नातक पाठ्यक्रमों, जहां पर पात्रता मानदण्ड में 10+2 की योग्यता है, में दाखिले के उद्देश्य से सीनियर सैकेण्डरी स्तर के 10+2 कोर्सों के बराबर घोषित किया गया है।

परिवहन

130. प्रदेश में इस समय राज्य परिवहन बेड़े की 4215 बसों और निजी बस संचालकों की 975 बसों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेरी सरकार ने नई स्टेज कैरेज स्कीम बनाई है, जिसके लिए 25 फरवरी, 2016 को एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई और इससे प्रदेश की सड़कों पर बसों की उपलब्धता में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

131. इस समय तीन चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों तथा विभाग द्वारा चलाए जा रहे 18 चालक प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से चालक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 246 निजी प्रशिक्षण स्कूल हल्के मोटर वाहन का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। सरकार ने अपने चालक प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से भी हल्के मोटर वाहनों के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। जिला भिवानी के गांव कालूवास और जिला मेवात के गांव छपेरा

[श्री अध्यक्ष]

में दो नए चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा और वाहनों का उचित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए, रोहतक में 14 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिवर्ष सवा से डेढ़ लाख वाहनों के प्रमाणीकरण की क्षमता वाले एक निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना की जा रही है और इसके जून, 2016 के अंत तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

132. मेरी सरकार ने रोड टैक्स के ऑनलाइन ई–भुगतान और डीलर्स प्वाइंट रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है। प्रदेश के सभी 82 पंजीकरण एवं लाइसैंसिंग प्राधिकरणों में ''वाहन'' और ''सारथी'' कार्यक्रम क्रियान्वित किये गए हैं। पांच जिला मुख्यालय प्राधिकरणों नामतः पंचकूला, करनाल, अम्बाला, फरीदाबाद और गुड़गांव को पायलट प्रोजैक्ट में ''वाहन'' और ''सारथी'' के वर्जन 4 में अपग्रेड किया गया है, जिसका विस्तार अगले वर्ष सभी शेष जिलों तक कर दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा नीति–2015 बनाई गई है और हरियाणा सुरक्षा कोष नियम प्रस्तावित किये जा चुके हैं। ''सुरक्षित स्कूल वाहन नीति'' को संशोधित किया गया है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों में आईपी कैमरे और जीपीएस प्रणाली उपलब्ध करवाई जा सके।

133. छात्राओं को उनके निवास स्थान से शैक्षणिक संस्थानों तक निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा लड़कियों के लिए 44 विभिन्न मार्गों पर विशेष बसें चलाई गई हैं। आपातकाल के दौरान पीड़ित व्यक्तियों और उनके जीवन–साथी को हरियाणा परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा ऐसे लोगों को एसी वोल्वो बसों में 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

134. मेरी सरकार सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर एनआईटी, फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास कर रही है। करनाल, बावल, अम्बाला शहर, गुड़गांव और फरीदाबाद में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नये बस टर्मिनल्स विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। तोशाम, सांपला, बरवाला, नलवा, झज्जर, फिरोजपुर झिरका, नूंह, पुन्हाना और तावडू में नये बस अड्डे निर्माणाधीन हैं। प्रदेशभर में बड़ी संख्या में बस क्यू शैल्टर बनाए जा रहे हैं।

135. मेरी सरकार द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में हस्त चालित इलैक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीन के माध्यम से टिकट काटने, आरएफआईडी आधारित बस पास शुरू करने और एलईडी आधारित डेस्टीनेशन बोर्ड लगाने का प्रस्ताव है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर 400 बसों के लिए ऑनलाइन टिकट आरक्षण शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

पर्यटन

136. कुरूक्षेत्र, जहां महाभारत के महायुद्ध के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता का शाश्वत संदेश दिया था, के बिना हरियाणा में पर्यटन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी सरकार ने कुरूक्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना का विकास करने और इसे विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए, कुरूक्षेत्र को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के कृष्णा सर्किट में

शामिल करवाया है। सरकार ने विकास के लिए सन्नहित सरोवर, अमीन कुण्ड, नरकातरी, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर और कुरूक्षेत्र शहर का चयन किया है। इस अभिनव विकास परियोजना में श्रीमद्भगवद्गीता और महाभारत के विभिन्न विषयों पर आधारित एक थ्री डी मल्टीमीडिया शो तथा महाभारत युद्ध के 48 कोस के वास्तविक क्षेत्र को दर्शाने वाले थीम पार्क काम्पलैक्स को शामिल किया गया है।

137. हर साल जून में जिला लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में "गुरु पूर्णिमा" के अवसर पर तीन दिवसीय सिन्धु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हरियाणा सरकार ने इस यात्रा के महत्व को देखते हुए अधिकतम 50 तीर्थ यात्रियों तक प्रतियात्री 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

138. कुमाऊं मण्डल विकास निगम और विदेश मामले मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किया जाता है। देशभर से लगभग 1000 व्यक्तियों को 18 दलों में कैलाश मानसरोवर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। मेरी सरकार ने हरियाणा से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 50 व्यक्तियों तक प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

139. सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदिबद्री में सरस्वती नदी के मार्ग को विकसित करने तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना तथा ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थानों को विकसित करने के दृष्टिगत, हरियाणा पर्यटन ने आदिबद्री मंदिर, कपालमोचन, बिलासपुर, सरस्वती तीर्थ और पिहोवा में विभिन्न पर्यटन अवसंरचना पर लगभग 7.85 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

माननीय सभासदो!

140. हरियाणा विधानसभा ने सदैव प्रजातन्त्र की महान परम्पराओं का अनुसरण किया है। प्रदेशवासियों की नजरें अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिये आप पर टिकी हैं। मेरी सरकार प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के सक्षम बनाने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों का विकास सुनिश्चित करने के लिये वचनबद्ध है। मैं, यहां उपस्थित सभी सदस्यों से, राज्य के हर भाग के हर व्यक्ति का संतुलित, समान और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के प्रकल्प में मेरी सरकार का सहयोग करने का आह्वान करता हूँ। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने सामर्थ्य को केन्द्रित करके हम सबको एकजुट होकर हरियाणा को सत्त विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। मैं हृदय की गहराइयों से आशा करता हूँ कि आपकी चर्चा, विचार-मंथन और निर्णय अत्याधिक रचनात्मक और उपयोगी साबित होंगे और हर पहलू से हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं पर पूर्णत: खरा उतरेंगे।

वंदे मातरम !

जयहिन्द !

———————

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 17.00 बजे शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करें, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के इंडियन नैशनल लोकदल के साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि उन्होंने विरोध स्वरूप जो काले बिल्ले लगा रखे हैं, शोक प्रस्ताव के दौरान इस तरह से काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शित करना सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है। अत: इन्हें काले बिल्लों को हटा लेना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को सदन की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। उन्हीं मर्यादाओं के मद्देनज़र मेरा सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल लोकदल के साथियों से अनुरोध है कि उन्हें यह काले बिल्ले हटा लेने चाहिए। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, काले बिल्ले शोक का ही प्रतीक होते हैं और हमने इन बिल्लों को एज ए प्रोटैस्ट ही लगाया है लेकिन सदन की भावनाओं व मर्यादाओं का मान रखते हुए हम इन काले बिल्लों को हटा लेते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्यों द्वारा काले बिल्ले हटा लिए गए)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान हमारे बीच में से बहुत सारी विभूतियां, जिनमें राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी, बड़े-बड़े महानुभाव और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक शामिल हैं, वे हमें छोड़कर चले गए हैं। वे जिस रिक्ति को छोड़कर गए हैं उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं सदन की ओर से यह शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूँ।

डॉ. बलराम जाखड़, लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष

यह सदन लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. बलराम जाखड़ के 3 फरवरी, 2016 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 अगस्त, 1923 को हुआ। वे वर्ष 1972 तथा 1977 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 1973–77 के दौरान उप–मंत्री रहे। वे वर्ष 1977–79 के दौरान पंजाब विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 1980, 1984, 1991 तथा 1998 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1980 से 1989 तक लगातार दो बार लोक सभा के अध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1991–96 के दौरान केन्द्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री पी. ए. संगमा, लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष

यह सदन लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पी. ए. संगमा के 4 मार्च, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 सितम्बर, 1947 को हुआ। वे वर्ष 1988 तथा 2008 में मेघालय विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1988–90 के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री तथा 1990–91 के दौरान विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 1977, 1980, 1984, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2006 तथा 2014 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1980–84 के दौरान केन्द्रीय उप–मंत्री तथा 1985–88 व 1991–95 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। वे वर्ष 1995 से 96 के दौरान केन्द्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने वर्ष 1996 से 1998 तक लोक सभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, जम्मू–कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

यह सदन जम्मू–कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के 7 जनवरी, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 जनवरी, 1936 को हुआ। वे वर्ष 1962 से 1972, 1985 से 1986, 2002 से 2005 तथा 2015 से अपने अन्तिम समय तक जम्मू–कश्मीर विधान सभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1972–77 के दौरान जम्मू–कश्मीर विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। वे वर्ष 1967–70 के दौरान उप–मंत्री तथा 1972–75 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। वे वर्ष 2002 से 05 के दौरान तथा 2015 से अपने अन्तिम समय तक दो बार जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 1986 व 1992 में राज्य सभा तथा 1989 व 1998 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1986 से 87 तथा 1989 से 90 के दौरान केन्द्रीय मंत्री भी रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

[(श्री मनोहर लाल)]

न्यायाधीश नरेश कुमार सांघी, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

यह सदन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नरेश कुमार सांघी के 7 मार्च, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 जून, 1955 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1980 में नारनौल से वकालत प्रारम्भ की। वे वर्ष 1996 में हरियाणा के उप महाधिवक्ता तथा वर्ष 2007 में पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता बने। वे 30 सितम्बर, 2011 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात न्यायविद् की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री रोशन लाल तिवाड़ी, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रोशन लाल तिवाड़ी के 21 फरवरी, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 नवम्बर, 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1984–86 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वे समाज के कमज़ोर एवं गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री सहज राम, गांव अटेला कलां, जिला भिवानी।

2. श्री महासिंह, गांव समसपुर, जिला भिवानी।

3. श्रीमती शकुंतला देवी, अम्बाला शहर, जिला अम्बाला।

4. श्री सूरजभान, गांव चिड़ौद, जिला हिसार।

5. श्री नेकी राम, गांव संडवा, जिला भिवानी।

6. श्री दीनानाथ मेहता, हिसार।

7. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कैप्टन पवन कुमार, गांव बधाना, जिला जींद।

2. डिप्टी कमांडेंट विरेंद्र सिंह, गांव सुरेहती जाखल, जिला महेन्द्रगढ़।

3. सहायक कमांडेंट राजेश श्योराण, गांव बारवास, जिला भिवानी।

4. निरीक्षक सत्यनारायण, गांव डांडमा, जिला भिवानी।

5. उप निरीक्षक छोटेलाल शर्मा, गांव कोरियावास, जिला महेन्द्रगढ़।

6. सहायक उप निरीक्षक राज कुमार, गांव दनौदा कलां, जिला जींद।

7. नायक सतीश कुमार, गांव माईकलां, जिला भिवानी।

8. लांस नायक राजबीर सिंह, गांव बवानी खेड़ा, जिला भिवानी।

9. कार्पोरल गुरसेवक सिंह, गांव गरनाला, जिला अम्बाला।

10. सिपाही विकास, गांव हाजीपुर, जिला महेन्द्रगढ़।

11. सिपाही जिले सिंह, गांव मुडिया खेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।

12. सिपाही पंकज शर्मा, गांव टुंडला, जिला अम्बाला।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

[(श्री मनोहर लाल)]

फरवरी – 2016 आंदोलन के दौरान मारे गये लोग

यह सदन फरवरी, 2016 में हरियाणा में हुये आंदोलन के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

आतंकवादी हमले

यह सदन जनवरी, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर तथा फरवरी, 2016 में जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निन्दा करता है तथा महान वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है।

यह सदन शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

यह सदन विधायक श्री विपुल गोयल के चाचा श्री सुरेश चंद अग्रवाल, पूर्व मंत्री श्री राम सरूप रामा की माता श्रीमती जगीर कौर, पूर्व मंत्री श्री आफताब अहमद के चाचा श्री इकबाल खान तथा विधायक श्री बिशम्बर सिंह बाल्मीकि के भाई श्री मुकेश कुमार के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू (पेहवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. बलराम जाखड़ के 3 फरवरी, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । उनका जन्म 23 अगस्त, 1923 को हुआ । वे वर्ष 1972 तथा 1977 में पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1973-77 के दौरान उप-मंत्री रहे । वे वर्ष 1977-79 के दौरान पंजाब विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे । वे वर्ष 1980, 1984, 1991 तथा 1998 में लोक सभा के सदस्य चुने गए । वे वर्ष 1980 से 1989 तक लगातार दो बार लोक सभा के अध्यक्ष रहे । वे वर्ष 1991-96 के दौरान केन्द्रीय मंत्री भी रहे । उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया । वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया । उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पी. ए. संगमा के 4 मार्च, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 1 सितम्बर,

1947 को हुआ। वे वर्ष 1988 तथा 2008 में मेघालय विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1988-90 के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री तथा 1990-91 के दौरान विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 1977, 1980, 1984, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2006 तथा 2014 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1980-84 के दौरान केन्द्रीय उप-मंत्री तथा 1985-88 व 1991-95 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। वे वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने वर्ष 1996 से 1998 तक लोक सभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासन की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के 7 जनवरी, 2016 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 12 जनवरी, 1936 को हुआ । वे वर्ष 1962 से 1972, 1985 से 1986, 2002 से 2005 तथा 2015 से अपने अंतिम समय तक जम्मू-कश्मीर विधान सभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1972-77 के दौरान जम्मू-कश्मीर विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। वे वर्ष 1967-70 के दौरान उप-मंत्री तथा 1972-75 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। वे वर्ष 2002-05 के दौरान तथा 2015 से अपने अन्तिम समय तक दो बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 1986 व 1992 में राज्य सभा तथा 1989 व 1998 में लोक सभा के सदस्य चुने गए । वे वर्ष 1986-87 तथा 1989-90 के दौरान केन्द्रीय मंत्री भी रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नरेश कुमार सांघी के 7 मार्च, 2016 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 5 जून, 1955 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1980 में नारनौल से वकालत प्रारम्भ की। वे वर्ष 1996 में हरियाणा के उप महाधिवक्ता तथा वर्ष 2007 में पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता बने। वे 30, सितम्बर, 2011 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। उनके निधन से देश एक प्रख्यात न्यायविद् की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रोशन लाल तिवाड़ी के 21 फरवरी, 2016 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । उनका जन्म 10 नवम्बर, 1939 को हुआ । वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये । वे वर्ष 1984-86 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे । वे समाज के कमजोर एवं गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे । उनके निधन से राज्य एक कुशल विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

[सरदार जसविन्द्र सिंह]

इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. श्री सहज राम, गांव अटेला कलां, जिला भिवानी।
2. श्री महासिंह, गांव समसपुर, जिला भिवानी।
3. श्रीमती शकुंतला देवी, अम्बाला शहर, जिला अम्बाला।
4. श्री सूरजभान, गांव चिड़ौद, जिला हिसार।
5. श्री नेकी राम, गांव संडवा, जिला हिसार।
6. श्री दीनानाथ मेहता, हिसार।
7. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ जिन्होंने हमारी मातृभूति की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है :

1. कैप्टन पवन कुमार, गांव बधाना, जिला जींद।
2. डिप्टी कमांडेंट विरेंद्र सिंह, गांव सुरेहती जाखल, जिला मेहन्द्रगढ़।
3. सहायक कमांडेंट राजेश श्योराण, गांव बारवास, जिला भिवानी।
4. निरीक्षक सत्यनारायण, गांव डांडमा, जिला भिवानी।
5. उप निरीक्षक छोटेलाल शर्मा, गांव कोरियावास, जिला महेन्द्रगढ़।
6. सहायक उप निरीक्षक राज कुमार, गांव दनौदा कलां, जिला जींद।
7. नायक सतीश कुमार, गांव माईकलां, जिला भिवानी ।
8. लांस नायक राजबीर सिंह, गांव बवानी खेड़ा, जिला भिवानी।
9. कार्पोरेल गुरसेवक सिंह, गांव गरवाला, जिला अम्बाला।
10. सिपाही विकास, गांव हाजीपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
11. सिपाही जिले सिंह, गांव मुडिया खेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
12. सिपाही पंकज शर्मा, गांव टुंडला, जिला अम्बाला।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से फरवरी, 2016 में हरियाणा में हुए आंदोलन के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जनवरी, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर तथा फरवरी, 2016 में जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं तथा महान वीरों की शहादत पर शत्-शत् नमन करता हूं ।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से विधायक श्री विपुल गोयल के चाचा श्री सुरेश चंद अग्रवाल, पूर्व मंत्री श्री राम सरूप रामा की माता श्रीमती जगीर कौर, पूर्व मंत्री श्री आफताब अहमद के चाचा श्री इकबाल खान और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नाम हमारे विधायक साथी बिसम्बर बाल्मिकी के भाई मुकेश कुमार का जोड़ा है उसको भी मैं इसमें जोड़ता हूं तथा इन सभी के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

Shri Kuldeep Bishnoi (Adampur) : Speaker Sir, I on behalf of my party, place on record deep sense of sorrow on the sad demise of Dr. Balram Jakhar, former Speaker of Lok Sabha, on February 3, 2016. He was born on August 23, 1923. He was elected to the Punjab Legislative Assembly in 1972 and 1977 and remained Deputy Minister during 1973-77. He also remained the Leader of the Opposition in Punjab Legislative Assembly during 1977-79. He was elected as a Member of Lok Sabha in 1980, 1984, 1991 and 1998. He remained the Speaker of Lok Sabha for two consecutive terms from 1980 to 1989. He also remained Union Cabinet Minister during 1991-96. He also served as the Governor of Madhya Pradesh from 2004-2009. He was an embodiment of simplicity and honesty. He devoted his entire life to the public service. In his death, the country has lost a seasoned parliamentarian and an able administrator. I resolve to convey my heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

I on behalf of my party, place on record deep sense of sorrow on the sad demise of Shri P.A. Sangma, former Speaker of Lok Sabha, on March 4, 2016. He was born on September 1, 1947. He was elected to the Meghalaya Legislative Assembly in 1988 and 2008. He remained Chief Minister of Meghalaya during 1988-90 and Leader of the Opposition during 1990-91. He was elected to the Lok

[Shri Kuldeep Bishnoi]

Sabha in 1977, 1980, 1984, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2006 and 2014. He remained Union Deputy Minister during 1980-84 and Union Minister of State during 1985-88 and 1991-95. He also remained Union Cabinet Minister during 1995-96. He served as the Speaker of the Lok Sabha from 1996 to 1998. He was a soft spoken person with an amiable nature. He was dedicated towards the upliftment of the down trodden and poor sections of the society. In his death, the country has lost a seasoned parliamentarian and an able administrator. I resolve to convey my heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

I on behalf of my party, place on record deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Mufti Mohammed Sayeed, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, on January 7, 2016. He was born on January 12, 1936. He remained Member of Jammu and Kashmir Legislative Assembly from 1962 to 1972, 1985 to 1986, 2002 to 2005 and 2015 till his demise. He also remained Member of Jammu and Kashmir Legislative Council during 1972-77. He remained Deputy Minister during 1967-70 and Cabinet Minister during 1972-75. He remained Chief Minister of Jammu and Kashmir twice, during 2002-05 and from 2015 till his demise. He was elected to the Rajya Sabha in 1986 & 1992 and the Lok Sabha in 1989 & 1998. He also remained Union Cabinet Minister during 1986-87 and 1989-90. In his death, the country has lost a seasoned parliamentarian and an able administrator. I resolve to convey my heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

I on behalf of my party, place on record deep sense of sorrow on the sad demise of Justice Naresh Kumar Sanghi, Judge of Punjab & Haryana High Court, on March 7, 2016. He was born on June 5, 1955. He started practicing law at Narnaul in 1980. He became Deputy Advocate General, Haryana in 1996 and Additional Advocate General, Punjab in 2007. He became Judge of Punjab & Haryana High Court on September 30, 2011. In his death, the country has lost an eminent Jurist. I resolve to convey my heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

I on behalf of my party, place on record deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Roshan Lal Tiwari, former Chief Parliamentary Secretary of Haryana on February 21, 2016. He was born on November 10, 1939. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1982 and remained a Chief Parliamentary Secretary during 1984-86. He was dedicated to the upliftment of the downtrodden and poor sections of the society. In his death, the State has lost an able legislator. I resolve to convey my heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

इसके साथ ही मैं उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया । इन महान स्वतंत्रता सेवानियों के नाम इस प्रकार से हैं :-

1. श्री सहज राम, गांव अटेला कलां, जिला भिवानी ।
2. श्री महासिंह, गांव समसपुर, जिला भिवानी।

3. श्रीमती शकुंतला देवी, अम्बाला शहर, जिला अम्बाला।

4. श्री सूरजभान, गांव चिड़ौद, जिला हिसार ।

5. श्री नेकी राम, गांव संडवा, जिला भिवानी।

6. श्री दीनानाथ मेहता, हिसार।

7. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

इसके साथ ही मैं उन सभी वीर सैनिकों को भी अपना अश्रूपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार से हैं :

1. कैप्टन पवन कुमार, गांव बधाना, जिला जींद ।

2. डिप्टी कमांडैंट विरेन्द्र सिंह, गांव सुरेहती जाखल, जिला महेन्द्रगढ़।

3. सहायक कमांडैंट राजेश श्योराण, गांव बारवास, जिला भिवानी।

4. निरीक्षक सत्यनारायण, गांव डांडमा, जिला भिवानी।

5. उप निरीक्षक छोटेलाल शर्मा, गांव कोरियावास, जिला महेन्द्रगढ़।

6. सहायक उप निरीक्षक राज कुमार, गांव दनौदा कलां, जिला जींद ।

7. नायक सतीश कुमार, गांव माईकलां, जिला भिवानी।

8. लांस नायक राजबीर सिंह, गांव बवानी खेड़ा, जिला भिवानी।

9. कार्पोरल गुरसेवक सिंह, गांव गरनाला, जिला अम्बाला।

10. सिपाही विकास, गांव हाजीपुर, जिला महेन्द्रगढ़।

11. सिपाही जिले सिंह, गांव मुडिया खेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।

12. सिपाही पंकज शर्मा, गांव टुंडला, जिला अम्बाला।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की श्हादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

इसी प्रकार से मैं फरवरी, 2016 में आरक्षण के नाम पर हुए उग्रवाद के दौरान मारे गये निर्दोष लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

[Shri Kuldeep Bishnoi]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग इस दौरान मारे गये हैं इनके नाम शोक प्रस्ताव में लिखे जाने चाहिएं थे। मैं उन्हें पढ़ना चाहूंगा । वे नाम इस प्रकार से हैं : *** *** ***

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से मैं जनवरी, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर तथा फरवरी, 2016 में जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं इन आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं और इन महान वीरों की शहादत पर शत्-शत् नमन करता हूं।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

इसी प्रकार से मैं विधायक श्री विपुल गोयल के चाचा श्री सुरेश चंद अग्रवाल, पूर्व मंत्री श्री राम सरूप रामा की माता श्रीमती जागीर कौर तथा पूर्व मंत्री श्री आफताब अहमद के चाचा श्री इकबाल खान के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

श्री जयप्रकाश (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं भी इसमें अपने विचारों को सांझा करता हूँ । डॉ. बलराम जाखड़ एक कुशल राजनीतिज्ञ और बहुत बढिया प्रशासक थे । उन्होंने इस देश की लोकसभा को 10 वर्ष तक चलाया । इसके साथ-साथ मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि उनको कृषि पंडित की उपाधि मिली थी । वे बहुत बढिया कृषक थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में कीनू को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था इसलिए उनको कृषि पंडित की उपाधि दी गई थी । वे कई बार लोकसभा के सदस्य रहे । वे राज्य में भी उप-मंत्री रहे तथा केन्द्र में भी मंत्री रहे । वे लगातार दो बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे । मैं उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ और उनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री पी.ए. संगमा, एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे। वे एक ट्राइबल इलाके से आते थे और हमें भी दो बार उनके साथ काम करने का मौका मिला था। ये मेरे खयाल से लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चट्टर्जी के बाद सबसे ज्यादा 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं । वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं मैं उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ और उनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ ।

---

* चेयर के आदेशानुसार फरवरी, 2016 में आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की सूंची को रिकार्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, केन्द्रीय गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक रहे। वे लोकसभा के सदस्य तथा जम्मू कश्मीर विधान सभा के सदस्य भी रहे । मैं उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ और उनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

माननीय श्री नरेश कुमार सांघी जी बहुत बड़े विद्वान थे। वे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जज थे। वे हरियाणा के उप महाधिवक्ता तथा पंजाब के अतिरिक्त महाविधवक्ता रहे। मैं उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ और उनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रोशन लाल तिवाड़ी, हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव जो कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कैथल से विधान सभा के सदस्य चुने गये थे, के असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ और उनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी प्रकार से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

1. श्री सहज राम, गांव अटेला कलां, जिला भिवानी।
2. श्री महासिंह, गांव समसपुर, जिला भिवानी ।
3. श्रीमती शकुंतला देवी, अम्बाला शहर, जिला अम्बाला।
4. श्री सूरजभान, गांव चिड़ौद, जिला हिसार।
5. श्री नेकी राम, गांव संडवा, जिला भिवानी।
6. श्री दीनानाथ मेहता, हिसार।
7. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।

आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं वह इन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से व इनकी मेहनत से बैठे हैं । इन लोगों ने देश की आजादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है । मैं इनको शत्-शत् नमन करता हूँ । मैं इनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ ।

इसी प्रकार से हमारे वीर सैनिक जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. कैप्टन पवन कुमार, गांव बधाना, जिला जीन्द।
2. डिप्टी कमांडेंट विरेंद्र सिंह, गांव सुरेहती जाखल, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सहायक कमांडेंट राजेश श्योराण, गांव बारवास, जिला भिवानी।

[श्री जय प्रकाश]

4. निरीक्षक सत्यनारायण, गांव डांडमा, जिला भिवानी।

5. उप निरीक्षक छोटे लाल शर्मा, गांव कोरियावास, जिला महेन्द्रगढ़।

6. सहायक उप निरीक्षक राज कुमार, गांव दनौदा कलां जिला जीन्द।

7. नायक सतीश कुमार, गांव माईकलां, जिला भिवानी ।

8. लांस नायक राजबीर सिंह, गांव बवानी खेड़ा, जिला भिवानी।

9. कार्पोरल गुरसेवक सिंह, गांव गरनाला, जिला अम्बाला।

10. सिपाही विकास, गांव हाजीपुर, जिला महेन्द्रगढ़।

11. सिपाही जिले सिंह, गांव मुडिया खेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।

12. सिपाही पंकज शर्मा, गांव टुंडला, जिला अम्बाला।

मैं इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फरवरी, 2016 में आंदोलन के दौरान जो हमारे साथी मारे गये हैं जिनके नाम सरदार जसविन्द्र संधू जी ने भी लिये हैं और श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने भी लिए हैं मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ते हुये एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि इस लिस्ट में शायद उन सबके नाम नहीं हैं । इसलिए मैं उन सभी शहीदों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ और उनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ था वैसे तो सारा देश उसकी निन्दा कर चुका है लेकिन मैं एक बात उससे हट कर अवश्य कहना चाहूँगा कि पठानकोट एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के साथ बना हुआ है और जिस प्रकार से हमारे वीर सैनिकों ने उन उग्रवादियों का मुकाबला करते हुये अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, मैं उनको शत्-शत् नमन करता हूँ और उनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे विधायक श्री विपुल गोयल के चाचा, श्री सुरेश चंद अग्रवाल, पूर्व मंत्री श्री राम सरूप रामा की माता, श्रीमती जगीर कौर तथा पूर्व मंत्री श्री आफताब अहमद के चाचा, श्री इकबाल खान के दु:खद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ और उनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

निलम्बित सदस्यों को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आप जो शोक प्रस्ताव पास करेंगे वह करना भी चाहिए क्योंकि यह इस सदन की परम्परा है।

आज सदन के नेता यहाँ पर बैठे हुये हैं मैं आपके माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि आपने विपक्ष के जिन साथियों को सदन की 5 बैठकों के लिए निलंबित किया है उनको वापिस बुलाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा वैसे तो यह परम्परा नई है महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हो चाहे लोक सभा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो लेकिन इस देश में विभिन्न विधान सभाओं में कई बार इस तरह की बातें आई हैं और इस तरह का बहिष्कार भी हुआ है लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से नम्रतापूर्ण निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के साथियों को भी वापिस बुलाया जाए क्योंकि यह सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें आपकी सरकार ने इस प्रदेश में कार्य करना है क्योंकि सरकार बहुमत की है और आपकी सरकार है इसलिए अगर उनको भी चर्चा में हिस्सेदार बनाया जाए तो यह एक अच्छी परम्परा होगी। मैं सदन के नेता से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से बातचीत करके उनको सदन में वापिस बुलाया जाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि आपने जो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को पांच दिनों के लिए नेम किया है वह जरूरत से ज्यादा सजा है। आप उनको बाहर भेज चुके हैं इतना ही काफी है।

श्री अध्यक्ष : संधू जी, उनको सजा तो बिल्कुल नाप तोल कर दी है ।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : नहीं सर, ज्यादा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनको सदन में बुलाया जाए क्योंकि बजट सैशन बड़ा महत्वपूर्ण सैशन है इसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चाएं होनी हैं। जैसे एस.वाई.एल. कैनाल का मुद्दा है तथा और भी कई मुद्दे हैं और बिल भी आने हैं अत: मेरी प्रार्थना है कि इन सब पर चर्चा करने के लिए उनको वापिस बुलाया जाए।

शोक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने जो अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात और इस अधिवेशन के आरम्भ होने के बीच, कई महान विभूतियाँ दुनिया को छोड़ कर चली गई हैं। मैं सबसे पहले बलराम जाखड़, लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे पंजाब विधान सभा के सदस्य और उप-मंत्री भी रहे । वे 4 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने दो बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। वे सादगी और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन जन-सेवा में अर्पित कर दिया था।

मैं श्री पी.ए.संगमा, लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष के दु:खद निधन पर अपना गहरा शोक प्रकट करता हूं । श्री पी.ए.संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री तथा वहां पर विपक्ष के नेता भी रहे। वे दस बार लोकसभा के सदस्य भी चुने गये ओर वे भारत सरकार में केन्द्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था । वे बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृति के व्यक्ति थे। वे हमेशा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणा के लिए समर्पित रहते थे।

[श्री अध्यक्ष]

मैं जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के दु:खद निधन पर भी अपनी तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं । वे चार बार जम्मू-कश्मीर विधान सभा के सदस्य रहे। वे जम्मू-कश्मीर में कैबिनेट मंत्री भी रहे और उन्होंने दो बार जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। अन्तिम समय तक भी वे जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। वे भारत सरकार में केन्द्रीय मंत्री भी रहे।

मैं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नरेश कुमार सांघी के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उन्होंने नारनौल से अपना कैरियर आरम्भ किया था और वे हरियाणा के उप-महाधिवक्ता तथा बाद में पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी बने।

मैं हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रोशन लाल तिवाड़ी के दु:खद निधन पर भी अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूं। वे हमेशा समाज के कमजोर एवं गरीब वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते थे।

इनके साथ ही मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शोक प्रस्ताव में लिये हैं के निधन पर भी अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूं। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने-अपने ढ़ंग से देश को आजाद कराने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। मुझे हरियाणा के उन सभी शहीदों जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये तथा जिनके नाम मुख्यमंत्री ने अपने शोक प्रस्ताव में लिये हैं उनकी कुर्बानी पर भी गहरा दु:ख है। मैं इन महान आत्माओं के बलिदान को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं।

मैं फरवरी 2016 में हरियाण में हुए आन्दोलन के दौरान मारे गये निर्दोष लोगों के असामायिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर तथा फरवरी 2016 में जम्मू-कश्मीर के पम्पोर में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के दु:खद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं विधायकों के निजी संबंधियों के हुए दु:खद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान हो सके। मैं इस सदन की भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

इसके अलावा श्री अर्जन सिंह, पूर्व विधायक की माता श्रीमती अतरी देवी का भी निधन हो गया है। मैं उनके निधन पर भी दु:ख प्रकट करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि इनका नाम भी शोक प्रस्ताव में शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। सदन के हमारे कुछ साथियों ने अभी शोक प्रस्ताव संख्या-8 के संबंध में आरक्षण आंदोलन के दोरान मारे गये लोगों के नामों की सूची पढ़कर सुनाई है। शोक प्रस्ताव संख्या-8 में हरियाणा में हुए आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए

लिखा गया है कि यह सदन फरवरी, 2016 में हरियाणा में हुए आंदोलन के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।" यह एक प्रशासनिक मामला है और प्रशासनिक मामले की वजह से इस सूची को यहां पर लगाने से कोई प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गये लोगों के लिए इस अवस्था में "निर्दोष" शब्द का प्रयोग ज्यादा बेहतर है और मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारे कई माननीय सदस्यों ने शोक प्रस्ताव संख्या-8 के संदर्भ में आरक्षण आंदोलन में मारे गये लोगों के नाम की सूची पढ़कर सुनाई है उनको हाउस की कार्यवाही में न डाला जाये और शब्दों को सही रखा जाये। मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा किया जाता है तो बात ठीक रहेगी । (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सदन की कार्यवाही में आरक्षण में मारे गये निर्दोष लोगों के नाम जरूर डाले जाने चाहिए। अपना हक मांगने का सबको अधिकार होता है। उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमेशा से यह परंपरा रही है कि यदि किसी आंदोलन में कोई साधारण जन तक भी मारा जाता है तो उसका नाम शोक प्रस्ताव में डाला जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, यह एक बहुत अहम मसला है और किसी भी सूरत में इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : संधू साहब, यह बात ठीक है कि अपना हक मांगना सबका अधिकार है लेकिन अभी इस मसले पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है और जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तो उसमें दोषी और निर्दोष का फैसला हो जायेगा और जो निर्दोष साबित होंगे उनके नाम को शामिल कर लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता ने शोक प्रस्ताव के संबंध में जो बात कही है वह बिल्कुल दुरूस्त है। अत: सदन की कार्यवाही में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के नाम की जो सूची पढ़ी गई है, उस सूची को सदन की कार्यवाही में न डाला जाये।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मारे गये लोगों को दोषी भी तो नहीं कहा जा सकता। अभी किसी इंक्वायरी में उनको दोषी भी तो नहीं ठहराया गया है। अत: इनके नाम सदन की कार्यवाही में डाले जाने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : संधू साहब, तुसी बड़ी माड़ी गल कर दीती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जो 'निर्दोष' शब्द का प्रयोग शोक प्रस्ताव संख्या-8 में किया गया है उसमें आरक्षण आंदोलन में मारे गये वे सभी व्यक्ति जो निर्दोष थे, स्वत: ही आ गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और आपको उस बात को मानना चाहिए। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक आरक्षण आंदोलन में

[श्री अध्यक्ष]

मारे गये किसी भी व्यक्ति का नाम शोक प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति को दूसरे के घर को जलाने का अधिकार कौन सा कानून देता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, जब इन्क्वायरी होगी तो साबित हो ही जायेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह की बातें केवल मात्र राजनीति चमकाने का प्रयासभर हैं। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, कौन व्यक्ति दंगा कर रहा था, कौन आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, इसकी इंक्वायरी कमेटी जांच करेगी और सब कुछ साफ हो जायेगा। बेवजह सदन का समय बर्बाद करने की मंशा ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू साहब, आपकी बात सुन ली गई है। अब आप बैठिये श्री कुलदीप बिश्नोई जी अपनी बात रखना चाहते हैं। उनको अपनी बात रखने दें। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शोक प्रस्ताव के संबंध में बिल्कुल ठीक बात कही है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी होती रहेगी। आप शोक प्रस्ताव में मारे गये लोगों के नाम डाल दो (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, ऐसा भी तो हो सकता है किसी का नाम इंक्वायरी कमेटी में डाल दिया जाये जबकि उसने दोष किया ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, आप जिस तरह से सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हो, उससे तो ऐसा लगता है कि आप किसी इंक्वायरी के पक्षधर ही नहीं हो। (शोर एवं व्यवधान) इंक्वायरी कमेटी द्वारा बेवजह किसी का भी नाम नहीं डाला जा सकता है।(शोर एवं व्यवधान) शोक प्रस्ताव में "निर्दोष" शब्द लिख दिया गया है। अगर आप द्वारा बोले गये नाम निर्दोष साबित हो जाते हैं तो समझ लीजिये कि उनके नाम शोक प्रस्ताव में अपने आप जुड़ गये हैं। (शोर एवं व्यवधान) पहले इंक्वायरी होगी उसके बाद ही तो पता चलेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। (शोर एवं व्यवधान) किसी ने कितना भी बड़ा अपराध कर दिया और मान लो वो भी उसमें मारा गया और आप उसका नाम भी शोक प्रस्ताव की सूची में डलवाना चाहते हैं तो यह किसी भी सूरत में न्यायसंगत नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) संधू जी, मान लो आपने किसी व्यक्ति का नाम शोक प्रस्ताव के तहत सदन की कार्यवाही में जुड़वा दिया और कल इन्क्वायरी होने पर उसका नाम किसी बड़े अपराध में आ जाये तो फिर क्या आप उसका नाम सूची से निकलवाने के लिए आयेंगे?(शोर एवं व्यवधान) क्या आप यह प्रस्ताव लेकर सदन में आओगे कि आपने जिसका नाम सदन में शोक प्रस्ताव के तहत सदन की कार्यवाही में डलवाया था, उसका अपराध सिद्ध हो गया है अत: उसका नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दो ? मुख्यमंत्री जी ने एक कम्पलीट शब्द प्रयोग कर दिया है "निर्दोष"। जो भी "निर्दोष" लोग हैं वह चाहे कोई भी हैं तो उसके लिए हम

शोक प्रकट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप किसी दोषी के लिए जिसने किसी का घर जलाया होगा, किसी की फैक्ट्री जलाई होगी उसके लिए विधान सभा के अन्दर शोक प्रस्ताव लेकर आयेंगे तो यह तो बहुत ही गम्भीर मामला होगा। इस महान सदन में अढ़ाई करोड़ लोगों के प्रतिनिधि बैठते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसके प्रति सदन में शोक प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो यह बहुत ही गम्भीर बात होगी। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप बैठिये। आप इसको राजनीतिक विषय मत बनाईये। अपराधी, अपराधी होता है। चाहे वह किसी जाति का है या किसी पार्टी का है। (शोर एवं व्यवधान) अपराधी को अपराधी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और जो सही बात है उसे सही बात की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप इस विषय को किसी जाति या पार्टी से मत जोड़कर देखिये। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, जो लोग आतंक करते हैं, तबाही मचाते हैं और लोगों के घर जलाते हैं उनको शोक प्रस्ताव के तहत सदन की कार्यवाही में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, प्लीज आप भी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, . . . (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने दें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू साहब, आप प्लीज बैठिए। श्री कुलदीप बिश्नोई ने भी आरक्षण आंदोलन में मारे गये कुछ लोगों के नाम पढ़े थे। (शोर एवं व्यवधान) उनको भी इस संबंध में अपनी बात रखने दें। (शोर एवं व्यवधान) आप प्लीज, बैठिये (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, जब एस.वाई.एल. कैनाल का आंदोलन हुआ था उस वक्त भी लोग मारे गये थे। (शोर एवं व्यवधान) पूर्व में जब एस.वाई.एल. कैनाल का आंदोलन हुआ था ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू साहब, आप कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं?(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, किसी को मारने का अधिकार कौन सा कानून देता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं एस.वाई.एल. कैनाल आंदोलन की बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, क्या एस.वाई.एल. कैनाल का आंदोलन और आरक्षण से संबंधित जो आंदोलन हुआ, यह दोनों एक जैसे थे? (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब क्या यह लगाया जाए कि आपकी पार्टी इस आंदोलन को मान्यता देती है ? (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, 1986 में चौधरी देवी लाल की अगुवाई में जल न्याय युद्ध लड़ा गया था और उस वक्त भी लोग मारे गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, बात मत घुमाइये, आप मेरी बात का जवाब दें। एस.वाई.एल. कैनाल का आंदोलन जिस प्रकार से लड़ा गया था, क्या आप एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर हुए आंदोलन और आरक्षण पर हुए आंदोलन की तुलना एक समान कर रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान) क्या एस.वाई.एल. कैनाल के आंदोलन में ऐसा हुआ था जैसे अब आरक्षण के आंदोलन में हुआ है ? (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986 में जल न्याय युद्ध लड़ा गया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : संधू साहब, वह न्याय युद्ध था और न्याय के लिए लड़ा गया था। (शोर एवं व्यवधान) जो व्यवहार इस आरक्षण आंदोलन में किया गया, क्या उस व्यवहार को आप सहीं ठहराते हो ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। (शोर एवं विघ्न)

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर सर, . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, आपको बोलने का मौका जरूर दिया जायेगा। अभी माननीय वित्त मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं एक बार उनको अपनी बात कह लेने दें उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जायेगा (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव बहुत ही गम्भीर व संवेदनशील विषय होता है। शोक प्रस्ताव पर जो इस सदन की भावना है, उसे सदन के नेता ने भलीभांति अभिव्यक्त किया है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए है या इस महान सदन के वे माननीय सदस्य या महान विभूतियां जो इस काल-खंड के अन्दर दिवंगत हुए हैं, उन सबके प्रति इस महान सदन की ओर से एक संवदेना संदेश जाना चाहिए। शहीदों से ले करके, माननीय सदस्यों से ले करके और बड़े नेताओं से ले करके जितने भी लोग इस कालखंड में दिवंगत हुए हैं, उन शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना सदन की तरफ से जायें। शोक प्रस्ताव राजनीति का माध्यम नहीं हो सकती इसलिए इसे राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाये। (शोर एवं व्यवधान) क्या देश के शहीदों के सामने भी जातियां लिखी जाएंगी ? मेरे माननीय साथी सदन में किस प्रकार का दृश्य शोक प्रस्ताव में पेश करना चाहते हैं, शोक प्रस्ताव के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, जातियां बताई जा रही हैं। क्या महान सदन की ये मर्यादाएं हैं ? अध्यक्ष महोदय, यह महान सदन परंपराओं और मर्यादाओं से चलता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो भावना थी, उसके बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जो निर्दोष हैं उनके प्रति शोक प्रस्ताव लेकर आयेंगे। जो दोषी हैं उनके प्रति शोक प्रस्ताव नहीं लायेंगे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : यदि कोई दिवंगत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, अगर कोई आदमी किसी के घर को जलायेगा चाहे वह दिवंगत हो गया हो तो उसके प्रति शोक प्रस्ताव नहीं लायेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल विपक्ष के साथी कानून को अच्छी तरह से जानते हैं । जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह निर्दोष होता है। इसलिए इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, दिवंगतों का नाम लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल साथी लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। हम लाशों पर राजनीति किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, निर्दोष शब्द शोक प्रस्ताव में जोड़ दिया गया है । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि ऐसा मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैंने जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जब तक वह इन्क्वायरी करके रिपोर्ट नहीं दे देते कि कौन दोषी हैं और कौन निर्दोष हैं तब तक इस पर बहस करना उचित नहीं है। जो निर्दोष हैं जब तक यह सिद्ध नहीं होता तब तक हम उन्हें जनरल कैटेगरी ही बता सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मान लो दिवंगत हुए आदमियों में से किसी पर दोष सिद्ध हो जाता है और उसका नाम शोक प्रस्ताव में शामिल हो जाता है तो यह आगे के लिए एक गलत परंपरा बन जायेगी इसलिए इसको जनरल कैटगरी में ही रहने दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को "निर्दोष" शब्द से पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अब मैं सदन से विनती करूँगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष : हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-13 (I) ए के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों के नामों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूँ।

1. श्री ज्ञानचन्द गुप्ता, विधायक
2. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक
3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

श्री अध्यक्ष : अब सचिव घोषणा करेंगे।

श्री सचिव : अध्यक्ष महोदय, उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने फरवरी-मार्च, 2014 तथा नवम्बर, 2015 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की टेबल पर रखता हूं।

फरवरी-मार्च सत्र, 2014

* इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन) विधेयक, 2014.

नवम्बर सत्र, 2015

1. हरियाणा गौ-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015
3. इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूं।

समिति की बैठक सोमवार, 14 मार्च, 2016 को प्रात: 11:00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

"समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार को 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं स्थगित होगी तथा मंगलवार, बुधवार, वीरवार तथा शुक्रवार को 10.00 बजे प्रात: आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

सोमवार, 14 मार्च, 2016 को राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि वीरवार, 31 मार्च, 2016 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रात: आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 14 से 18, 21, 22, 28 से 31 मार्च, 2016 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा:-

14 मार्च 2016 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी।	1. सदन की मेज पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। 2. शोक प्रस्ताव। 3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज-पत्र।
मंगलवार, 15 मार्च, 2016 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल 2. नियम-121 के अधीन प्रस्ताव। 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 16 मार्च, 2016 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण
वीरवार, 17 मार्च, 2016 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. गैर-सरकारी कार्य।
शुक्रवार, 18 मार्च, 2016 (10.00 बजे प्रात:) (प्रथम बैठक)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान। 3. वर्ष 2015-2016 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान।
शुक्रवार, 18 मार्च, 2016 (2.30 बजे मध्याह्न-पश्चात्) (दूसरी बैठक)	1 वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
शनिवार, 19 मार्च, 2016	छुट्टी।
रविवार, 20 मार्च, 2016	छुट्टी।
सोमवार, 21 मार्च, 2016 (2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्)	1. प्रश्न काल 2. वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा।
मंगलवार, 22 मार्च, 2016 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. रखे जाने वाले कागज-पत्र, यदि कोई हों। 3. वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।
बुधवार, 23 मार्च, 2016	छुट्टी।

[श्री अध्यक्ष]

वीरवार, 24 मार्च, 2016	छुट्टी।
शुक्रवार, 25 मार्च 2016	छुट्टी।
शनिवार, 26 मार्च, 2016	छुट्टी।
रविवार, 27 मार्च, 2016	छुट्टी।
सोमवार, 28 मार्च, 2016 (2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर तथा वर्ष 2016-2017 के लिए अनुदानों की मांगों पर मतदान। 3. विधान तथा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
मंगलवार, 29 मार्च, 2016 (10.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2015-2016 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक) 3. वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।
बुधवार, 30 मार्च, 2016 (10.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. नियम 30 के अधीन प्रस्ताव। 3. विधान कार्य ।
वीरवार, 31 मार्च, 2016 (10.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 4. रखे जाने वाले कागज-पत्र, यदि कोई हों। 5. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 6. विधान कार्य। 7. कोई अन्य कार्य।

श्री अध्यक्ष : अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव प्रसतुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है।

Parliamentary Affairs Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory committee.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री सदन की मेज पर कागज-पत्र रखेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय,

1. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश सं. 2) मेज पर रखेंगे।

2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश सं. 3) मेज पर रखेंगे।

3. हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1970 की धारा 9(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.151/एच.ए.3/1970/एस.9/ 2015 दिनांकित 22 सितम्बर, 2015 मेज पर पुन: रखेंगे।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियमन, 1973 में संशोधन संबंधी कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या 66/32/2008-3 एस.III, दिनांकित 4 जून, 2015 मेज पर रखेंगे।

5. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./23/2010/चौथा संशोधन/ 2015, दिनांकित 12 अगस्त, 2015 के संबंध में हरियाणा बिजली विनियायमक आयोग अधिसूचना मेज पर रखेंगे।

6. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./32/2014, दिनांकित 3 सितम्बर, 2015 के संबंध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिसूचना मेज पर रखेंगे।

7. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2006-2007 के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ के वार्षिक लेखों पर लेखा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

8. विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2007-2008 के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ के वार्षिक लेखों पर लेखा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

[श्री अध्यक्ष]

9. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2008-2009 के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ के वार्षिक लेखों पर लेखा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

10. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2009-2010 के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ के वार्षिक लेखों पर लेखा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

11. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ के वार्षिक लेखों पर लेखा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

12. नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम,1971 की धारा 19-क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

13. हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012-2013 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

14. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013-2014 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

15. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2010-2011 के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

16. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2011-2012 के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 46वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

17. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012-2013 के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 48वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

19. हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा-17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोकायुक्त (1-4-2015 से 17-1-2016) की वार्षिक रिपोर्ट- 2015-2016 मेज पर रखेंगे।

20. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

21. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

22. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2014-2015 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखे, (भाग-1 तथा 2) मेज पर रखेंगे।

23. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2014-2015 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे मेज पर रखेंगे।

24. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीखक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

सरकारी संकल्प

पंजाब विधान सभा द्वारा सतलुज यमुना-लिंक (एस.वाई.एल.) नहर की भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के विधेयक को पारित करने की निंदा संबंधी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सिंचाई मंत्री एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगें।

(इस समय श्रीमती उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई।)

कृषि मंत्री(श्री ओमप्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

"हरियाणा राज्य एक जल अभाव क्षेत्र है और हरियाणा राज्य के पास अपनी आवश्यकताओं से 61 प्रतिशत कम पानी उपलब्ध है। राज्य के 126 ब्लॉक में से 71 ब्लॉक में भू जल का अतिदोहन किया जा चुका है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लगभग आधे हरियाणा में नहरी जल आपूर्ति 32 दिनों के अंतराल पर केवल 8 दिनों के लिए की जा सकती है जिसके फलस्वरूप पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करना और तालाबों को भरना भी कठिन हो जाता है। यमुना नदी में पानी की उपलब्धता पिछले सालों की तुलना में अत्याधिक कम हुई है जिसके बावजूद भी हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है।

1966 में हरियाणा राज्य के गठन के उपरांत 1976 में भारत सरकार के आदेशों सन 1981 के पंजाब, हरियाणा राजस्थान राज्यों के त्रिपक्षीय समझौता, 24.7.85 के राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड, 15.1.2002 में और 04.06.2004 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बावजूद हरियाणा राज्य को रावी-ब्यास के अधिशेष पानी के 3.50 एम.ए.एफ.वैद्य हिस्से की तुलना में आधे से अधिक हिस्से से वंचित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप राज्य में प्रति वर्ष लगभग 8 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है तथा राज्य को प्रति वर्ष लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की हानि होती है।

पंजाब सरकार ने अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व को दरकिनार करते हुए वर्ष 2004 में पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 पारित कर दिया जो कि निसंदेह

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

देश के संवैधानिक ढांचे पर एक चोट थी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना का एक प्रयास था। हरियाणा सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने माननीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से पंजाब के विवादास्पद पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैद्यता के विषय में अपनी राय देने का अनुरोध किया। वर्ष 2011 और 2014 में विषय की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए इस सम्मानित सदन में सर्वसम्मति से पंजाब राज्य के एकतरफा असंवैधानिक कार्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए गए। वर्तमान सरकार के ठोस प्रयासों के का पिछले 11 वर्षों से लंबित राष्ट्रपति संदर्भ की माननीय सर्वोच्च न्यायालय समक्ष सुनवाई आरंभ हो गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राष्ट्रपति संदर्भ के परिणाम को दरकिनार करने और हरियाणा राज्य को अपने वैद्य हिस्से से वंचित रखने के लिए पंजाब राज्य में कानूनी तरीके से एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए अधिकृत की गई भूमि को अनाधिसूचित करने के लिए पंजाब, सतलुज, यमुना लिंक नहर (पुनर्वास और स्वामित्व अधिकार के पुनर्निहित) विधेयक को पारित करके पूर्व की भांति एक और अनुचित प्रयास किया है। पंजाब का यह कदम देश के संविधान की मूल भावना व संघीय ढांचे पर चोट है, और देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का कार्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बैंच ने कावेरी जल विवाद में एक राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के विषय में निम्न टिप्पणी की है:-

It was aobserved by the constitution bench in cauvery water disputes tribunal (Supra) when an ordinance was passed by astate seeking to nullify the order of this court.

"such an act is an invitation to lawlessness and anarchy, in as much as the ordinance is manifestation of a desire of the desire of the state to be a judge in its own cause and to defy the decision of the judicial authorities the action forebodes evil consequences to the federal structure under the constitution and open doors for each states to act in the way it desires disregarding not only the rights of the other states, the orders passed by instrumentalities constituted under an act of Parliament but also the provision of the constitution. If the power of a state to issue such an ordinance is upheld it will lead to the breakdown of the constitutional mechanism affect the unity and integrity of the nation"

यह सदन पंजाब राज्य के एकतरफा, असंवैधानिक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को नकारने वाले हरियाणा के वैद्य हितों के विरुद्ध केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाए कदम के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करता है। यह सदन भारत सरकार से पंजाब के अवैधानिक और असंवैधानिक कार्य को रद्द करने का अनुरोध करता है। साथ ही, भारत सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे राष्ट्रपति संदर्भ को न्यायसंगत निर्णय तक पहुंचाने और एस.वाई.एल. नहर

को पूरा करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता है ताकि हरियाणा राज्य के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

सदन सर्वसम्मति से इस संकल्प को स्वीकार करता है।"

माननीय अध्यक्ष महोदया जी, पूरे दर्द और वेदना के साथ मैं एक ऐसे विषय पर संकल्प रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसकी लड़ाई हरियाणा में तीन पीढ़ियां लड़ चुकी हैं। हरियाणा के निर्माण के साथ ही हमारा जो पानी के बंटवारे का विषय था, उस बंटवारे के विषय को पूरा न्याय नहीं मिला और लगातार इस सदन में भी अनेकों बार इस विषय पर चर्चा हुई है। इस सदन में पहले भी सर्वसम्मति से इस विषय पर वर्ष 2011 और 2014 में संकल्प पारित किए गए। इससे पूर्व चर्चा में इस बात का उल्लेख हुआ कि पूरे हरियाणा ने 1986 में इस विषय को लेकर न्याय युद्ध लड़ा है। हरियाणा के समस्तजन उसमें सहभागी हुए थे। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पानी का अभाव है। हमारे पास नहरी पानी की जो उपलब्धता है वह इतनी नहीं है कि हम पूरे हरियाणा को दे सकें। जितना हम नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं उतना ही पानी हम जमीन से निकालते हैं और लेकिन जितना पानी हम निकालते हैं उतना पानी रिचार्ज नहीं हो पाता जिसके कारण 40 लाख एकड़ फीट पानी का डैफीसिट हर साल होता है। इसी वजह से हमारे 126 ब्लॉक में से 71 ब्लाक डैफीसिट वाटर और डार्क जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से इलाके हैं जहां हम सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवा पाते क्योंकि वहां पशुओं के पीने के लिए और मनुष्यों के पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाना होता है। यदि हमारे हिस्से 18.00 बजे का पानी 3 डिकेड पहले उपलब्ध हुआ होता तो निश्चित रूप से हरियाणा को जो लगभग 1 हजार करोड़ रूपये का एनुवली नुक्सान हो रहा है वह नहीं होता। खाद्यान उपलब्ध होने से इनकम होती लेकिन पानी न मिलने के कारण यह नुक्सान हमारे प्रदेश को हुआ है। यदि पूरा पानी मिल जाता तो हमारे प्रदेश का किसान समृद्ध होता लेकिन पानी न मिलने के कारण हम उससे वंचित रह गये। अभी की स्थिति और भी भयावह रही है। हम चार बार में पूरे हरियाणा को पानी देते थे लेकिन मानसून कमजोर रहने के कारण काफी दिक्कत रही है और वैस्टर्न डिस्ट्रीबैंसिज भी इन दिनों में आये हैं जिसके कारण पूरे हरियाणा को पांच बार में पानीदेना पड़ा। इस तरह से 32 दिनों में पानी एक इलाके में पहुंचता है और बहुत से इलाकों में 32 दिनों तक पानी रिजर्व करने की व्यवस्था हमारे जोहड़ों में नहीं है। जिसके कारण पशुओं को पानी की कमी रहती है। हर कोई वेट कर सकता है लेकिन फसलों को पानी देने के लिए वेट नहीं किया जा सकता। पानी की कमी के कारण हमारे बहुत बड़े एरिया में फसलों को नुक्सान पहुंचा है। यह लड़ाई लगातार लड़ी जाती रही है और बार-बार केन्द्र सरकार से भी इस बारे में आग्रह करते रहे हैं। 1966 में हरियाणा बना तब से इस पानी की मांग हम कर रहे हैं। 1968 में जो पंजाब रिआर्गेनाईजेशन एक्ट बना उसमें प्रोविजन था कि हमारे हिस्से का पानी हमें मिलेगा। रावी- ब्यास से थोड़ा सा पानी वर्ष 1969 में भाखड़ा मेन लाईन से हमें मिलना शुरू हुआ था। लेकिन उस समय पूरा पानी लाने का सिस्टम हमारे पास नहीं

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

था। 1968 में ही यह बात शुरू हुई कि हम हमारे हिस्से का पूरा पानी लाने के लिए एक अलग नहर बनायें । यह लड़ाई उस समय शुरू हुई थी और 1970-71 तक आते आते हरियाणा को रावी ब्यास के पानी में से 37,82,000 एकड़ फिट पानी हरियाणा को मिलेगा, यह पहली बार सैंट्रल गवर्नमैंट ने सैंट्रल कमेटी के माध्यम से हमें बताया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य इसी सदन में कई बार उपस्थित किए गए हैं और उनकी जानकारी हम सभी सदस्यों को है। 25 नवम्बर,1979 में हमारे हिस्से का पानी बी.बी.एम.बी. की जो 85वीं बैठक थी उसमें कम करके 35 लाख एकड़ फीट आबंटित कर दिया गया। लेकिन हमारे पास अपना पानी लाने के लिए कोई नहर नहीं थी। हम जितना पानी भाखड़ा मेन लाईन के थ्रू ला रहे थे उसमें थोड़ा पानी और बढ़ाकर 16,20,000 एकड़ फिट पानी लेकर आए। लेकिन हमारे हिस्से का जो 19 लाख एकड़ फिट पानी था उसको लाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं था। इसीलिए एस.वाई.एल. कैनाल बनाने के लिए बार-बार हम आग्रह करते रहे ताकि हमारे हिस्से का पूरा पानी हम ला सकें। एस.वाई.एल. कैनाल को बनवाने के लिए हमने न्यायलय का दरवाजा भी खटखटाया और 1981 में केन्द्र सरकार बीच में आई। उस समय भिन्न-भिन्न राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की बैठक केन्द्र सरकार के साथ हुई और उसमें यह फैसला हुआ कि एस.वाई.एल. कैनाल का तुरंत निर्माण किया जाए और हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी मिले। लेकिन यह निर्णय भी सिरे नहीं चढ़ा और उसके खिलाफ जिस प्रकार का वातावरण बना उसके बारे में हम सब वाकिफ हैं। उसके बाद 1985 में तत्कालीान प्रधानमंत्री और लौंगोवाल जी के बीच फैसला हुआ कि एस.वाई.एल.कैनाल को बनाया जायेगा और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। वर्ष 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एस.वाई.एल. नहर बनाने के लिए नीव का पत्थर भी रखा तथा थोड़ी-थोड़ी नहर बनती गई। लेकिन पंजाब में आतंकवाद के चलते जो एस.ई., एक्सियन, एस.डी.ओ. इस नहर के निर्माण के लिए पंजाब में डयूटी पर थे उनका कत्ल कर दिया गया। जिसके कारण फिर से एस.वाई.एल. कैनाल का कार्य बंद हो गया। हरियाणा के हिस्से का पानी लेने के लिए पूरे प्रदेश ने आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ी है। लेकिन उसके बाद भी हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। उसके बाद फिर से हरियाणा सरकार ने न्यायलय का दरवाजा खटखटाया। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्य न्यायलय ने वर्ष 2002 में हरियाणा सरकार की बात को ठीक मानते हुए आदेश दिए कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले और एस.वाई.एल. कैनाल को कम्पलीट किया जाये। हम हमारे हिस्से की नहर 1980 से पहले ही बना चुके थे लेकिन पंजाब के हिस्से की यह नहर पूरी नहीं बनी थी। 2002 में हमारे पक्ष में सर्वोच्य न्यायलय का जो निर्णय आया उसमें पंजाब सरकार ने कई तरह की याचिकाएं लगाकर इसको रोकने की कोशिश की थी। लेकिन 2004 में सर्वोच्य न्यायलय ने सख्ताई से आर्डर दिए कि एस.वाई.एल. कैनाल को बनाने का काम केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले और इस नहर को पूरा बनवाये ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके। इस

तरह के एक तरफा आर्डर सर्वोच्य न्यायलय ने दिए थे। लेकिन यह बड़े दुख और विडम्बना की बात है कि 12 जुलाई, 2004 को आधी रात के समय पंजाब का सदन बैठा और आधी रात के समय एक प्रकार से भारत के संविधान के खिलाफ और भारत की संघीय एकता के खिलाफ काम किया गया। यह किसी प्रकार से उनका अधिकार भी नहीं था। लेकिन किस प्रकार से पंजाब की विधान सभा ने संवैधानिक एकता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अथॉरिटी को नकारते हुए जो दोनों स्टेट्स के बीच पानी के समझौते थे, उनको रद्द कर दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार इसके विरोध में केन्द्र सरकार के पास गई और इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा भी प्रैजीडैंशियल रैफरैंस के माध्यम से खटखटाया गया कि हमारी इस बात के लिए सुनवाई हो। पिछली सरकार के समय भी वर्ष 2011 और वर्ष 2014 में भी इसी प्रकार से इस सदन में सर्वसम्मति से रैज्योल्यूशन पास किये गये। सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात को मैंशन किया गया कि इस मामले पर जल्दी-जल्दी सुनवाई की जाये। हमारी पार्टी की नई सरकार बनने के बाद भी हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में माननीय केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी से मिले। इसके साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने इस केस की जल्दी सुनवाई के प्रयास किये। हमने नॉर्थ ज़ोन कांऊसिंल की मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया था। हमारे इन सभी प्रयासों के मिले जुले स्वरूप का यह असर हुआ है कि अभी एक सप्ताह पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की शुरूआत कर दी है। आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय की सुनवाई हुई है। एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो जुलाई, 2004 में लिया गया था ऐसा ही एक निर्णय एक बार फिर से पंजाब मंत्रिमण्डल ने लिया है और इस विषय पर आज उन्होंने एक विधेयक अपनी विधान सभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के माध्यम से जो एस.वाई.एल. नहर बन गई है और जिसका मात्र 15 किलोमीटर लम्बा टुकड़ा बनना बाकी है उसकी लैण्ड को डि-एक्वायर करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत यह कहा गया है कि हम इस ज़मीन को फिर से डि-एक्वायर करते हैं और यह ज़मीन वापिस किसानों को देते हैं। ऐसा एक अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण कानून पंजाब की विधान सभा में लाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे हर हरियाणावासी के दिल में वेदना है। जैसा वर्ष 2004 का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था जो कि असंवैधानिक था और देश की एकता और अखण्डता के विरूद्ध था। यह निर्णय भी राज्यों की अंतरनिर्भरता के खिलाफ था और सर्वोच्च न्यायालय की अथॉरिटी के भी खिलाफ है । मैं समझता हूं कि ऐसे निर्णय की निंदा करना और ऐसे में न्याय मांगना हमारे इस हाऊस का सर्वसम्मत अधिकार है इसलिए हाउस को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

"कि हरियाणा राज्य एक जल अभाव क्षेत्र है और हरियाणा राज्य के पास अपनी आवश्यकताओं से 61 प्रतिशत कम पानी उपलब्ध है। राज्य के 126 ब्लॉक में से 71 ब्लॉक में भू जल का अतिदोहन किया जा चुका है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लगभग

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

आधे हरियाणा में नहरी जल आपूर्ति 32 दिनों के अंतराल पर केवल 8 दिनों के लिए की जा सकती है जिसके फलस्वरूप पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करना और तालाबों को भरना भी कठिन हो जाता है। यमुना नदी में पानी की उपलब्धता पिछले सालों की तुलना अत्याधिक कम हुई है जिसके बावजूद भी हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है।

1966 में हरियाणा राज्य के गठन के उपरांत 1976 में भारत सरकार के आदेशों सन 1981 के पंजाब, हरियाणा राजस्थान राज्यों के त्रिपक्षीय समझौता, 24.7.85 के राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड, 15.1.2002 में और 04.06.2004 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बावजूद हरियाणा राज्य को रावी-ब्यास के अधिशेष पानी के 3.50 एम.ए.एफ.वैद्य हिस्से की तुलना में आधे से अधिक हिस्से से वंचित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप राज्य में प्रति वर्ष लगभग 8 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है तथा राज्य को प्रति वर्ष लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की हानि होती है।

पंजाब सरकार ने अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व को दरकिनार करते हुए वर्ष 2004 में पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 पारित कर दिया जो कि निसंदेह देश के संवैधानिक ढांचे पर एक चोट थी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना का एक प्रयास था। हरियाणा सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने माननीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से पंजाब के विवादास्पद पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैद्यता के विषय में अपनी राय देने का अनुरोध किया । वर्ष 2011 और 2014 में विषय की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए इस सम्मानित सदन में सर्वसम्मति से पंजाब राज्य के एकतरफा असंवैधानिक कार्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए गए। वर्तमान सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पिछले 11 वर्षों से लंबित राष्ट्रपति संदर्भ की माननीय सर्वोच्च न्यायालय समक्ष सुनवाई आरंभ हो गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राष्ट्रपति संदर्भ के परिणाम को दरकिनार करने और हरियाणा राज्य को अपने वैद्य हिस्से से वंचित रखने के लिए पंजाब राज्य में कानूनी तरीके से एस.वाई.एल. के निर्माण के लिए अधिकृत की गई भूमि को नाधिसूचित करने के लिए पंजाब, सतलुज, यमुना लिंक नहर (पुनर्वास और स्वामित्व अधिकार के पुनर्निहित) विधेयक को पारित करके पूर्व की भांति एक और अनुचित प्रयास किया है। पंजाब का यह कदम देश के संविधान की मूल भावना व संघीय ढांचे पर चोट है, और देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का कार्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बैंच ने कावेरी जल विवाद में एक राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के विषय में निम्न टिप्पणी की है:-

It was observed by the constitution bench in cauvery water disputes tribunal (Supra) when an ordinance was passed by a state seeking to nullify the order of this court.

"such an act is an invitation to lawlessness and anarchy, in as much asthe ordinance is manifestation of a desire on the past the state to be a judge in its own cause and to defy the decision of the judicial authorities the action forebodes evil consequences to the federal structure under the constitution and open doors for each states to act in the way it desires disregarding not only the rights of the other states, the orders passed by instrumentalities constituted under an act of Parliament but also the provision of the constitution. If the power of a state to issue such an ordinance is upheld it will lead to the breakdown of the constitutional machination affect the unity and integrity of the nation"

यह सदन पंजाब राज्य के एकतरफ, असंवैधानिक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को नकारने वाले हरियाणा के वैद्य हितों के विरुद्ध केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाए कदम के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करता है। यह सदन भारत सरकार से पंजाब के अवैधानिक और असंवैधानिक कार्य को रद्द करने का अनुरोध करता है। साथ ही, भारत सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे राष्ट्रपति संदर्भ को न्यायसंगत निर्णय तक पहुंचाने और एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता है ताकि हरियाणा राज्य के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

सदन सर्वसम्मति से इस संकल्प को स्वीकार करता है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू (पेहवा) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर एस.वाई.एल. कैनाल का संकल्प प्रस्ताव सदन में पेश किया है । यह बहुत ही अहम मसला है । स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने इस प्रदेश को बनाने के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाई है और एक लम्बा संघर्ष किया। उनके अथक प्रयासों से 1 नवम्बर, 1966 को यह हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया। उसके बाद प्रदेश की जनता ने जब-जब उनको बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सेवा करने का मौका दिया। चाहे वह 4 नवम्बर, 1977 की बात थी या वर्ष 1987 की बात थी और उसके बाद वर्ष 1999-2000 में हमारी सरकार चली। एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे को लेकर उसको बनाने में जितना काम स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने किया है उतना ज्यादा काम शायद प्रदेश का और कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सका। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के कार्यकाल में तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल को एस.वाई.एल. नहर के निर्माण कार्य के लिए करोड़ों करोड़ रूपये की धनराशि दी गई थी। इसके सबूत आज भी हमारे पास मौजूद हैं और सरदार प्रकाश सिंह बादल इस बात से मुनखिर नहीं हो सकते हैं। पंजाब सरकार द्वारा उनके सदन में एस.वाई.एल. नहर निर्माण के लिए पंजाब में अधिग्रहित की गई भूमि को डि-नोटिफाई करने का जो विधेयक पास किया गया है, वह बहुत ही निंदनीय है। मैं आज इस सदन के माध्यम से पंजाब सरकार से पूछना चाहूँगा कि जब सरदार प्रकाश सिंह बादल एस.वाई.एल. नहर के निर्माण कार्य के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी की सरकार से करोड़ों-करोड़ रूपये प्राप्त कर चुके हैं तो अब उन्हें इस संबंध में एस.वाई.एल. नहर के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को डि-नोटिफाई करने का विधेयक पेश करने का कोई हक नहीं है। अभी माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी

[सरदार जसविन्द्र सिंह]

वर्ष 1986 के दौरान हुए एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर हुए आंदोलन का जिक्र कर रहे थे। वर्ष 1986 में स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी की अगुवाई में जल न्याय युद्ध लड़ा गया था। मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि एस.वाई.एल. नहर निर्माण के मुद्दे का जिक्र सदन में आया है, तो माननीय कृषि मंत्री जी निश्चित रूप से इस विषय पर स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी का नाम लेंगे परन्तु अफसोस, उन्होंने स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के नाम का जिक्र तक नहीं किया। मैं समझता हूँ कि यदि इस मसले पर वह चौधरी देवी लाल जी का नाम ले लेते तो इससे उनका कद छोटा न होकर बढ़ना ही था। माननीय धनखड़ साहब ने वर्ष 2014 का जिक्र किया जब पंजाब में कैप्टन अमरेन्द्र जी की सरकार हुआ करती थी। आधी रात को ... (विघ्न)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : उपायक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने जो वर्ष 2014 में पंजाब प्रदेश में कैप्टन अमरेन्द्र की सरकार की बात की, वह वर्ष 2014 नहीं था बल्कि वर्ष 2004 की बात है। अत: संधू साहब इसे ठीक कर लें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं ढुल साहब का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस बारे में सचेत कर दिया। पंजाब प्रदेश में वर्ष 2004 में कैप्टन अमरेन्द्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसके माध्यम से पूर्व में एस.वाई.एल. नहर निर्माण के मुद्दे पर जितने भी समझौते हुए चाहे वह केन्द्र की किसी भी सरकार के शासन काल में हुए हों या फिर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए हों, उन तमाम समझौतों को रद्द करने की बात कही गई और जिसकी निन्दा इस महान सदन द्वारा पहले ही की भी जा चुकी है। उपाध्यक्ष महोदया, सोमवार को दिन के उजाले में पंजाब सरकार द्वारा पंजाब विधान सभा में "पंजाब सतलुज यमुना लिंक नहर जमीन" (स्वामित्व अधिकार हस्तांतरण) विधेयक, 2016 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया जोकि बहुत ही निन्दनीय है। पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के मंत्रियों तथा एम.एल.एज. द्वारा एस.वाई.एल. नहर निर्माण के लिए पूर्व निर्धारित जमीन की डि-नोटिफिकेशन के बिल को पास कराने में निभाई गई अहम भूमिका निन्दनीय है। इस संबंध में मैं सदन के नेता से और खासतौर से कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से भी अनुरोध करूंगा कि आज केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तथा पंजाब की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सह-भागीदारी है, तो आप जिस भावना के साथ सदन में यह एस.वाई.एल. कैनाल पर प्रस्ताव लेकर आये हो, मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकती। अफसोस भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कुछ अलग स्टैंड है और हरियाणा प्रदेश में कुछ अलग स्टैंड है ? पंजाब प्रदेश की सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री तथा एम.एल.एज. कहते हैं कि हम पंजाब प्रदेश से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार यह एस.वाई.एल. कैनाल का प्रस्ताव लेकर आती है (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि... (शोर एवं विघ्न)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, अकाली दल पार्टी से तो इनकी पार्टी का पुराना रिश्ता है (शोर एवं व्यवधान) ये यहां पर इस तरह का बयान देकर सदन को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने एस.वाई.एल. कैनाल से अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। हमारे कार्यकत्ताओं ने तो अपनी कुर्बानियाँ तक दी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह जो एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर आप सदन में प्रस्ताव लेकर आये हैं, उस प्रस्ताव के साथ इंडियन नैशनल लोकदल पूर्णत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अत: एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति से उपर उठकर सच्चे दिल से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) और जो पंजाब प्रदेश में आपकी पार्टी की यूनिट बैठी है उसने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए पंजाब में अधिग्रहित की गई भूमि को डि-नोटिफाई करने का यह जो विधेयक पास किया है उसके बारे में भी केन्द्र सरकार को बताया जाये कि यह जो विधेयक पास किया गया है वह देशहित में नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इस मामले में इंडियन नैशनल लोकदल हरियाणा सरकार के साथ है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संधू साहब से कहना चाहता हूँ कि यह समय इस अति महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति करने का नहीं है। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हम राजनीति कहां कर रहे हैं? मैंने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर इंडियन नैशनल लोकदल पूर्ण-रूपेण सरकार के साथ है। (विघ्न)

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और संधू साहब बीच में उठकर उनको अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूँ कि एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर पूरे सदन को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। सभी दलों को इस मुद्दे पर एक हो जाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ की जनता हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। अत: यह अवसर सबको एक स्वर में होकर अपनी बात रखने का है। यदि हम एक दूसरे पर उंगलियां ही उठाते रहेंगे तो निश्चित रूप से सदन के बाहर इसका अच्छा संदेश तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है ? सत्ता पक्ष व विपक्ष को इस सारे मामले में किसकी क्या स्थिति है तथा किसका क्या संबंध है, भलीभांति भान है। हमें उन बातों में नहीं जाना चाहिए। यदि पूरा सदन एक मत से, एक स्वर से तथा एक मुखी होकर के यह प्रस्ताव पारित करेगा तो निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार से इसका समाधान निकलवा सकेंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं जानबूझकर कुछ विवादास्पद बातें कहने से बच रहा था। जब वर्ष 1981 में अकॉर्ड हुआ उस समय हरियाणा में चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे यानि कांग्रेस की ही सरकार थी, वर्ष 2004 में जब पंजाब की विधान सभा ने वाटर समझौते रद्द करने का बिल पास हुआ था तो उस समय पंजाब में कांग्रेस सरकार सत्तासीन थी और हरियाणा प्रदेश में इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार थी। अब भी इंडियन नैशनल लोकदल और अकाली दल में समझौता है या दोस्ती है उस पर भी मैं कोई बात नहीं करना चाहता लेकिन इन्होंने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिसकी वजह से यह सब उघड़ गया

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता और न इन बातों में पड़ना चाहता हूँ बल्कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि सालों साल से एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे को इस पाले या उस पाले में डालने की कोशिश की जाती रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एस.वाई.एल. कैनाल का मुद्दा पूरे हरियाणा प्रदेश का विषय है। (विघ्न) विगत 50 साल से हम इस मामले से पीड़ित हैं। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने तथा स्वर्गीय श्री मंगल सैन जी ने भी एस.वाई.एल. कैनाल के पानी के लिए लड़ाई लड़ी। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : धनखड़ साहब, अब तो प्रदेश में आपकी सरकार है इसलिए आपकी सरकार एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे का कोई हल निकाल सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंडियन नैशनल लोकदल इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से सरकार के साथ है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि वह एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं क्रेडिट लेने व डिसक्रेडिट देने वाली बात में नहीं पड़ना चाहता हूँ। क्रेडिट लेने, डिसक्रेडिट देने तथा पॉलिटिकल माईलेज लेने संबंधी लड़ाई तो इस सदन में बराबर चलती रहती है। हरियाणा प्रदेश में इस तरह की भावनाओं से उपर उठकर इस मुद्दे पर काम करने की जरूरत है। आज सुबह महामहिम राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार करना कहीं न कहीं पॉलिटिकल माईलेज लेने के उद्देश्य से किया गया कार्य था और मुझे यह कहने में कोई अतिश्योक्ति भी नहीं है। एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होने के बाद हम और आप गवर्नर हाउस गये और राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात की गई। राज्यपाल महोदय को बताया गया कि पंजाब सरकार एस.वाई.एल. कैनाल पर बिल ला रही है जोकि सही नहीं है। उस बैठक में सभी प्रकार की तमाम बातों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने आश्वस्त किया था कि हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा परन्तु बावजूद इसके भी आज सुबह जो राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार व व्यवधान पैदा करने की कार्यवाही की गई उसे केवल व केवल मात्र पॉलिटिकल माईलेज लेने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया था। मुझे यह कहने में भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सारा हाउस इस विषय पर एकमत था। सर्वदलीय बैठक भी हो गई थी। उपाध्यक्ष महोदया, जब ये और हम सब राजभवन जाकर अपनी बात से माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत करवा कर आये थे तो फिर आज सुबह की बात की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुबह की बात की आवश्यकता केवल पॉलिटिकल माईलेज लेने के लिए विपक्ष के साथियों ने और नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने की। इस पॉलिटिकल माईलेज ने हरियाणा के विषय को बिगाड़ा है। प्लीज़ इस विषय पर हरियाणा के माहौल को बिगाड़िये मत। पॉलिटिकल माईलेज लेने के विषय में हरियाणा का माहौल खराब हुआ है। सभी सदस्यों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। हरियाणा के हितों के लिए एस.वाई.एल नहर का पानी आने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को एकमत से पारित करें । (इस समय ट्रेजरी बैंचिज की ओर से मेजें थपथपाई गई)

श्री जय प्रकाश (कलायत) : उपाध्यक्ष महोदया, यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। लम्बे अर्से से हरेक पार्टी के सदस्य ने और हर हरियाणावासी ने एस.वाई.एल. नहर के पानी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। हमारी बेरोजगारी की समस्या भी सबसे पहले हल हो सकती थी, यदि

हमारे सुखे खेतों को एस.वाई.एल. नहर का पानी मिल जाता। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पहले किसकी सरकार थी और अब किस पार्टी की सरकार है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2004 में और आज जिस तरह का बिल पास किया है, उसमें कौन-कौन सी पार्टियों का कितना-कितना योगदान रहा, यह एक अलग मैटर है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा और मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से भी कहा था कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने बिल को पास किया है, उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। पंजाब सरकार ने संघीय ढांचे को तारपीडो ही नहीं किया बल्कि भारत सरकार के उस आदेश को भी निरस्त किया है। जबकि पंजाब सरकार के पास भारत सरकार के आदेश को निरस्त करने का अधिकार कतई नहीं है। जो कानून को अपने हाथों में लेते हैं चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, सरकार में किसी भी प्रकार का हिस्सेदार हो या किसी से कोई भी संबंध रखता हो वह इस प्रकार का बिल पास नहीं कर सकता। हमें यह फैसला करना चाहिए कि हम इस सरकारी संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करें। उपाध्यक्ष महोदया, पंजाब सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लायें जिसने संघीय ढांचे को तारपीडो किया है। हमें ऐसा प्रस्ताव लाकर मांग करनी चाहिए कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राज्यपाल शासन लागू करना चाहिए ताकि भविष्य में देश की कोई भी राज्य सरकार इस प्रकार का बिल पारित ना कर सके। (इस समय मेजें थपथपाई गई ।)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, यह जो प्रस्ताव है इसमें दोनों प्रस्ताव हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह सदन पंजाब राज्य के एकतरफा, असंवैधानिक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को नकारने वाले, हरियाणा के वैध हितों के विरूद्ध केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाए गए कदम के विरूद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करता है।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, पंजाब ने भारत के संघीय ढांचे के साथ अन्याय किया है। माननीय राज्यपाल महोदय से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करना चाहिए क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है।

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव में भारत सरकार से पंजाब के अवैधानिक और संवैधानिक कार्य को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही भारत सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे राष्ट्रपति के संदर्भ को न्यायसंगत निर्णय तक पहुँचाने और एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि हरियाणा राज्य के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। मेरा यह कहना है कि इस प्रस्ताव की सारी भावनाएं ठीक है। मेरा निवेदन यह है कि हमें राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा के हितों के लिए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव के ऐतिहासिक समय में हम सभी एकमत हैं। यदि सदन सर्वसम्मति से बिना किसी बहस के इसे पारित करेगा तो इसको बड़ी ताकत के साथ मजबूती मिलेगी । इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई बहस की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, सुझाव के माध्यम से राजनीति की जा रही है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि सभी सदस्यगण को इकट्ठे होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए क्योंकि यह हमारी नहर का मुद्दा है। हम सभी विपक्ष के सदस्य इसके लिए तैयार हैं। पंजाब सरकार ने पहले भी पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास किया था और आज फिर एक और बिल पास कर दिया है। यदि हम भी इस प्रकार का कोई गलत रैजोल्यूशन पास करते हैं जैसे दिल्ली का पानी बंद कर दें तो हमारे ऊपर भी भारत सरकार की तरफ से दबाव आयेगा। इस तरह हमें पानी मिल जायेगा और हम भी आगे पानी दे देंगे।

श्री कुलदीप बिश्नोई (आदमपुर) : उपाध्यक्ष महोदया, यह बड़ा ही संवेदशील मुद्दा है। सत्ता पक्ष ने एस.वाई.एल. नहर का सारा इतिहास सदन को बताया। विपक्ष ने इस पर टिप्पणी की तो सत्ता पक्ष कहता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

सरकारी संकल्प (पुनरारंभ)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा की जनता को एक तो सच्चाई का पता लगे और दूसरा इसका एक वास्तविक रिजल्ट कैसे आ सकता है और जनता का विश्वास कैसे बन सकता है। हम लोग एस.वाई.एल. के ऊपर राजनीति करना छोड़कर पानी लाकर देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभी बातें बड़े अच्छे ढंग से बताई हैं परंतु कुछ बातें वे सदन को बताना भूल गए। पंजाब के कपूरी गांव में वर्ष 1982 में जननायक चौधरी भजनलाल ने इंदिरा गांधी जी के साथ एस.वाई.एल. बनाने के काम की शुरूआत की थी। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से हरियाणा में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किये थे। ये बातें हरियाणा की नई पीढ़ी और पहली बार चुनकर आए विधायकों को अवश्य पता लगनी चाहिए। कपूरी गांव में अकॉर्ड पर चौधरी भजनलाल और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हस्ताक्षर हैं। चौधरी भजनलाल ने वर्ष 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी को कपूरी गांव में ले जाकर वहां पर एस.वाई.एल. का काम शुरू करवाया। इस नहर का 95 प्रतिशत कार्य चौधरी भजनलाल जी के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आई परंतु उन्होंने इस काम को टेल से करना शुरू कर दिया और इस वजह से यह काम अटक गया। चौधरी भजनलाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एस.वाई.एल. के लिए याचिका लगाई । सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2000 में कहा कि पंजाब सरकार एस.वाई.एल. का निर्माण कार्य 8-12 महीने में पूरा करे अन्यथा केंद्र सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेकर पूरा करे। उस वक्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। चौधरी भजनलाल ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा परंतु उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया । हमने रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री निवास का घेराव करने के लिए एक बहुत बड़ी रैली की थी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है और की जनता प्यासी है। हरियाणा प्रदेश साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उस रैली के बाद मैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य प्रधानमंत्री जी से मिलने भी गए थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करवा देंगे लेकिन

यह काम उनके शासनकाल में नहीं हुआ और काम लटकता रहा। वर्ष 2004 में पंजाब में कैप्टन अमरिन्द्र ने जो काम किया उसकी हमने मीडिया के माध्यम से और पार्लियामैंट में खड़े होकर खूब निंदा की थी। हमने उस वक्त घोषणा भी की थी कि अगर भारतीय पंजाब में राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह काम किया तो बीइंग ए कांग्रेस लीडर हम पंजाब में कांग्रेस के लिए वोट मांगने भी नहीं जाएंगे जबकि वे उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे । हम आज तक भी पंजाब में वोट मांगने के लिए नहीं गए हैं। सतलुज यमुनां लिंक नहर के लिए जितना भी संजीदगी से काम हुआ वह सारा काम चौधरी भजनलाल के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा सभी राजनीतिज्ञों ने एस.वाई.एल. पर केवल राजनीति की है। (विघ्न) संधू साहब, this is my time. अध्यक्ष जी ने मुझे समय दिया है। जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में टोका-टिप्पणी नहीं की। आप कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल ने एस.वाई.एल. का काम किया जबकि उन्होंने तो इस काम में अड़चन डाली थी। (शोर एवं व्यवधान) अब में निष्कर्ष पर आ रहा हूं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता लोगों का विश्वास बनाने में है और हम इसका पूर्ण रुप से समर्थन करते हैं। केन्द्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार है और पंजाब शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन है। पंजाब कैबिनेट में एस.वाई.एल. पर फैसला होता है और भाजपा के सदस्य उनके साथ मिलकर कैबिनेट के फैसले पर वाहवाह करते हैं। मैंने पंजाब के भाजपा नेता मदन मोहन मित्तल का बयान भी पढ़ा था जिसमें लिखा था - it is the historic decision given by the Chief Minister Shri Parkash Singh Badal. इस डिसीजन पर भारतीय जनता पार्टी फूली इंडोर्स करती है। इस तरह के दोगले व्यवहार से जनता का भाजपा पर विश्वास कैसे बन सकता है कि वह हमें एस.वाई.एल. का पानी लाकर देगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को पंजाब के भाजपा नेताओं को जाकर बोलना चाहिए आप जो एस.वाई.एल. के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन को वापिस करने का काला कानून बना रहे हैं इसको वापिस लीजिए। भाजपा को इस काले कानून को वापिस लेने का 72 घंटे या लेकर 1 सप्ताह तक का अल्टीमेटम देना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है कि आज पंजाब सरकार ने इस कानून को विधानसभा में पास भी कर दिया है। चौटाला परिवार के बादल परिवार के साथ बहुत अच्छी रिश्तेदारी है। इनको गवर्नर साहब से मिलने का या बी.जे.पी. का साथ देने का ढोंग नहीं करना चाहिए। अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हम प्रकाश सिंह बादल के पास जाने को तैयार हैं। प्रकाश सिंह बादल इनके पगडी बदल भाई हैं इसलिए ये उनके पास जाएं। इनका इतना लम्बा समय मुख्यमंत्री के काल का रहा है। अगर चौटाला जी चाहते कि एस.वाई.एल. का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए तो ये एस.वाई.एल. कैनाल का फैसला कब का करवा देते ? एक तरफ तो ये प्रकाश सिंह बादल के लिए वोट मांगने पंजाब जाते हैं और वे यहां वोट मांगने हरियाणा में आते हैं लेकिन जब पानी की बात आती है तो कहते हैं कि पारिवारिक मामला अलग है और राजनीतिक मामले अलग हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से दोनों दलों से प्रार्थना है कि इस मुद्दे पर राजनीति न करते हुए हमें जनता का विश्वास बनाना चाहिए। लोगों की जो इतनी लम्बी मांग है उसको पूरा करने के लिए इन्हें राजनीति छोड़कर पंजाब को अल्टीमेटम देना चाहिए और उनसे स्पोर्ट विद ड्रा करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार को चौटाला परिवार के साथ रिश्तेदारी छोड़ देनी चाहिए वरना हरियाणा की जनता समझ जाएगी कि ये राजनीति करना चाहते हैं और हरियाणा में पानी नहीं लाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने जो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी उस निंदा प्रस्ताव में उनके साथ है।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2004 में जब यह कानून पास हुआ था उस समय चौधरी भजनलाल जी किस पार्टी में थे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, हमने उस समय उस कानून का विरोध किया था और हमने इस्तीफे भी देने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, हम कहना चाहते हैं कि ये पंजाब को अल्टीमेटम दे रहे हैं या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कुलदीप जी को बताना चाहूंगा कि हमने भी उस समय इस्तीफे दिए थे। (शोर एवं व्यवधान) मैंने इस संकल्प में कहीं किसी विधायक का जिक्र नहीं किया। उस समय मंगल सैन जी काम कर रहे थे मैंने उनका भी जिक्र नहीं किया और न किसी और का जिक्र किया। मैंने उनका जिक्र इसलिए नहीं किया ताकि पूरा हाउस इस मुद्दे पर बिना एक दूसरे के पाले में बॉल डाले इसको पास करे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सारे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस निंदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, हम सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हैं लेकिन हमें बोलने का मौका दिया जाए।

श्रीमती उपाध्यक्ष : संधू जी, आप एक लाइन में अपनी बात खत्म करें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, हम पहले कह चुके हैं कि यह जो निंदा प्रस्ताव है, इंडियन नैशनल लोकदल उनके साथ है । कुलदीप बिश्नोई जी ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की बात की है लेकिन रामबिलास शर्मा जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि 1991 में चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे और उस समय एस.वाई.एल. कैनाल की बात छोड़कर उन्होंने यमुना नदी का पानी राजस्थान में ले जाने की बात की थी। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा का दुर्भाग्य है कि ये लोग बार बार इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं और एक दूसरे पर अंगुली उठाकर हरियाणा का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। सभी अपने अपने परिवारों की राजनीति करके हरियाणा को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा का दुर्भाग्य रहा है कि हर कोई जब देखो अलग अलग स्वर में बोल रहा है। पंजाब ने एक स्वर में इस मुद्दे पर बिल पास कर दिया जोकि इसका उदाहरण है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इन साथियों को कहना चाहूंगा कि अपनी ताकत को मत बिखेरिए और सबसे निवेदन करता हूं कि इस निंदा प्रस्ताव को एक मत से पास करें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : संधू साहब, आप बैठें, आपने अपनी बात कह ली है।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

> "कि हरियाणा राज्य एक जल अभाव क्षेत्र है और हरियाणा राज्य के पास अपनी आवश्यकताओं से 61 प्रतिशत कम पानी उपलब्ध है। राज्य के 126 ब्लॉक में से 71 ब्लॉक में भू जल का अतिदोहन किया जा चुका है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लगभग आधे हरियाणा में नहरी जल आपूर्ति 32 दिनों के अंतराल पर केवल 8 दिनों के लिए

की जा सकती है जिसके फलस्वरूप पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करना और तालाबों को भरना भी कठिन हो जाता है। यमुना नदी में पानी की उपलब्धता पिछले सालों की तुलना अत्याधिक कम हुई है जिसके बावजूद भी हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है।

1966 में हरियाणा राज्य के गठन के उपरांत 1976 में भारत सरकार के आदेशों सन 1981 के पंजाब, हरियाणा राजस्थान राज्यों के त्रिपक्षीय समझौता, 24.7.85 के राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड, 15.1.2002 में और 04.06.2004 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बावजूद हरियाणा राज्य को रावी-ब्यास के अधिशेष पानी के 3.50 एम.ए.एफ.वैद्य हिस्से की तुलना में आधे से अधिक हिस्से से वंचित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप राज्य में प्रति वर्ष लगभग 8 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है तथा राज्य को प्रति वर्ष लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की हानि होती है।

पंजाब सरकार ने अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व को दरकिनार करते हुए वर्ष 2004 में पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 पारित कर दिया जो कि निसंदेह देश के संवैधानिक ढांचे पर एक चोट थी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना का एक प्रयास था। हरियाणा सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने माननीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से पंजाब के विवादास्पद पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैद्यता के विषय में अपनी राय देने का अनुरोध किया। वर्ष 2011 और 2014 में विषय की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए इस सम्मानित सदन में सर्वसम्मति से पंजाब राज्य के एकतरफा असंवैधानिक कार्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए गए। वर्तमान सरकार के ठोस प्रयासों के का पिछले 11 वर्षों से लंबित राष्ट्रपति संदर्भ की माननीय सर्वोच्च न्यायालय समक्ष सुनवाई आरंभ हो गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राष्ट्रपति संदर्भ के परिणाम को दरकिनार करने और हरियाणा राज्य को अपने वैद्य हिस्से से वंचित रखने के लिए पंजाब राज्य में कानूनी तरीके से एस.वाई.एल. के निर्माण के लिए अधिकृत की गई भूमि को नाधिसूचित करने के लिए पंजाब, सतलुज, यमुना लिंक नहर (पुनर्वास और स्वामित्व अधिकार के पुनर्निहित) विधेयक को पारित करके पूर्व की भांति एक और अनुचित प्रयास किया है। पंजाब का यह कदम देश के संविधान की मूल भावना व संघीय ढांचे पर चोट है, और देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का कार्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बैंच ने कावेरी जल विवाद में एक राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के विषय में निम्न टिप्पणी की है :-

It was aobserved by the constitution bench in cauvery water disputes tribunal (Supra) when an ordinance was passed by astate seeking to nullify the order of this court.

"such an act is an invitation to lawlessness and anarchy, in as much as the ordinance is a manifestation of a desire on the part of the state to be a judge in its own cause and to defy the decision of the judicial authorities the action forebodes evil consequences to the federal structure under the constitution and open doors for each states to act in the way it desires disregarding not only the rights of the other states, the orders passed by instrumentalities constituted under an act of Parliament but also the provision of the constitution. If the power of a state to issue such an ordinance is upheld it will lead to the breakdown of the constitutional machination affect the unity and integrity of the nation"

यह सदन पंजाब राज्य के एकतरफा, असंवैधानिक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को नकारने वाले हरियाणा के वैद्य हितों के विरुद्ध केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाए कदम के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करता है। यह सदन भारत सरकार से पंजाब के अवैधानिक और असंवैधानिक कार्य को रद्द करने का अनुरोध करता है। साथ ही, भारत सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे राष्ट्रपति संदर्भ को न्यायसंगत निर्णय तक पहुंचाने और एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता है ताकि हरियाणा राज्य के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

सदन सर्वसम्मति से इस संकल्प को स्वीकार करता है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, यदि कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी यहां होते तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से माना जाता। उनको भी बुला लेना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदया: अब भी यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से ही पास हो रहा है।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 15.3.2016 प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

18.42 बजे तत्पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 15.3.2016 प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

54324—H.V.S.—H.G.P., Chd.

© 2013

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.